BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 30th April 2016 | No. 4

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार बिल्डिंग बायलॉज एण्ड बिहार फायर एक्ट के प्रावधानों पर चैम्बर में परिचर्चा

परिचर्चा में मंचासीन (बाँयें से दाँयें) चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष श्री मधुकरनाथ बरेरिया, अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं श्री पारस नाथ राय, समादेष्टा अग्निशमन सेवाएं श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, उप समादेष्टा श्री सतीश कुमार, चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में ''बिहार बिल्डिंग बायलॉज एण्ड बिहार फायर एक्ट के प्रावधानों'' पर दिनांक 18 अप्रैल 2016 को एक परिचर्चा आयोजित हुई। परिचर्चा की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की। इस अवसर पर महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं श्री पारसनाथ राय, समादेष्टा अग्निशमन सेवाएं श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, उप समादेष्टा श्री सतीश कुमार, अग्निशामालय पदाधिकारी श्री सिपाही सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में घरों, प्रतिष्ठानों आदि में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। जिससे जान-माल की काफी क्षति होती है। इससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा अगलगी की 60% मामले शॉट-सर्किट के कारण होती है। अगलगी पर रोकथाम के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा बनायी जाने वाली ब्लू-प्रिंट को यथाशीघ्र लागू करने के साथ ही बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों का पालन आवश्यक है।

श्री साह ने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपदा प्रबंधन के लिए काफी चिंतित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने श्री पी० एन० राय जी को अग्निशमन के लिए हर तरह की तैयारी करने का निर्देश दिया ताकि अगलगी की घटनाओं में तुरंत राहत एवं सुरक्षा मिल सके। सरकार का विचार है कि हर थानें में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहे।

श्री पारस नाथ राय, महासमादेष्टा ने परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों में अगलगी के संबंध में जागरूकता लाने और बिल्डिंग बायलॉज क्या है, बिहार फायर एक्ट के क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान जानकारी दी जा रही है। शहरी इलाकों में आग शॉट-सर्किट से लगती है, शॉट-सर्किट इसलिए होता है कि सही क्षमता का उपकरण नहीं लगा होता है। आग लगने पर क्या करें, आग न लगे इसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इन पर श्री राय ने विस्तृत जानकारी दी।

श्री राय ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से सदस्यों को बिहार बिल्डिंग बायलॉज एवं बिहार फायर एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सेफ्टी ऑडिट ऑफ बिल्डिंग पर भी जोर दिया। सेफ्टी कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, यह सभी के हित से जुड़ा है। इसलिए इसमें बिल्डर, डेवलपर, रेसिडेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी को मिल कर काम करना चाहिए।

श्री राय ने कहा कि शॉट-सर्किट नहीं हो इसके लिए फ्लैट खरीदार या दुकानदार बिल्डर से मांग करे और इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराये तो काफी हद तक आग से बचाव किया जा सकता है। वे सुरक्षा मानकों की पूरी जाँच-पड़ताल के बाद ही घर या फ्लैट खरीदें। आग लगने पर लोग अपने थानों या फिर एस०डी०ओ० को फोन पर सूचना देते हैं। ऐसे में देरी से सूचना मिलती है और कार्रवाई में देर हो जाती है। पटना में आग लगने की स्थिति में सिर्फ फायर ब्रिगेड के नम्बरों 101, 9430020631, 9431448273, 0612-2229980 व 0612-2222223 पर सूचना दें ताकि शीघ्र कार्रवाई हो सके।

श्री राय ने बताया कि दमकल गाड़ियों में आग बुझाने के दौरान पानी की कमी हो जाती है और मौके पर पहुँचने के बाबजूद अगलगी पर काबू पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए प्रदेश सरकार हर दो किलोमीटर पर फायर हाईड्रेंट (पानी भरने का प्वाइंट) तैयार करने जा रही है। इसके अलावा शहर के पंपिंग स्टेशनों से भी दमकल गाड़ियों में पानी लेने की अनुमति मिल गयी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी जलस्रोतों के अतिरिक्त हम निजी जल स्रोतों की भी जानकारी ले रहे हैं, ताकि किसी भी स्थिति में हमें पानी की कमी नहीं हो। अग्निशमन विभाग आग से बचाव के जरूरी निर्देशों को हर अपार्टमेन्ट, स्कूल, हॉस्पिटल पर लगना अनिवार्य करने जा रही है। इसी पर हेल्पलाईन नम्बरों के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों के नंबर भी अंकित रहेंगे।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के अंतर्गत भवनों को कई स्तरों में बाँटा गया है। इनमें अस्पताल, होटल, दुकान, मॉल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, सिनेमा हॉल, गोदाम, आवासीय भवन, एजुकेशनल, औद्योगिक एवं विस्फोटक, पटाखे, पेट्रोलियम व पावर हाउसेज वर्ग में बाँटा गया है। इनके निर्माण में फायर फाइटिंग उपकरणों को लगाने का प्रावधान है। बिहार सरकार ने इसमें कानून बनाकर इन भवनों में पहुँचने वाली सड़कों की चौड़ाई पर ज्यादा जोर दिया है। इस अधिनियम के तहत अग्निशमन सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों को जुर्माने का

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिहार में पूर्ण शराब बंदी का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। हमें उनके इस सुप्रयास को पूर्ण सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग एवं प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण शराब बंदी से राज्य में अपराधों में अपेक्षाकृत कमी आई है।

राज्य की शराब बनाने वाली कम्पनियाँ दूसरे राज्यों के बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने उन्हें एक्सपोर्ट ड्युटी में छूट दी है। अब उन कंपनियों को दूसरे राज्यों में एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई०एन०ए०) और एथेनॉल बेचने पर यह कर नहीं देना होगा। अभी तक ई०एन०ए० निर्यात करने पर 4 रूपये प्रति लीटर और एथनॉल पर 50 पैसे प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। इससे निश्चित रूप से शराब कंपनियों को नये बाजार में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं होगा।

बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत् मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये जाने की योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना की समीक्षा बैठक में उर्जा मंत्रालय ने अन्य राज्यों को कहा है कि सामान्य परिवार यानि गरीबी रेखा से उपर जीवन बसर करने वाले परिवारों के लिए बिहार सरकार ने बिजली कनेक्शन देने की जो योजना शुरु की है, वह बेहतर है। अन्य राज्य भी चाहें तो इस तर्ज पर अपने यहाँ कनेक्शन दे सकते हैं।

वाणिज्य-कर विभाग में वित्तीय वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही का रिटर्न अब 31 मई 2016 तक ऑन लाईन दाखिल होगा। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना निर्गत हो चुकी है।

द्रविड कजगम के अध्यक्ष और पेरियार आंदोलन के नेता डा० कृष्णास्वामी वीरमणि द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को के० वीरमणि अवार्ड-2015 से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से तथा बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ।

आपका

ओ० पी० साह

अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का सायरण और घंटियों को सुनने के बावजूद दमकलों के मार्ग में बाधा बनने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी दमकलों में वायरलेस सेट एवं एंड्रॉयड फोन दिये गये हैं। रास्ता रोकने वाले वाहनों की तस्वीर मोबाईल से लेकर उच्चाधिकारियों के पास भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

राजधानी की छोटी गलियों में आग से बचाव हेतु थानों को मोटरसाईकिल दी जायेगी। जिसमें फायर सेफ्टी यंत्र लगा होगा जो तुरंत आग पर काबू कर सकेगा। ज्यादा दिक्कत की स्थिति में वह दमकल गाड़ियों को बुला लेगा।

परिचर्चा के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा 101 नंबर के नहीं लगने पर महासमादेष्टा ने कहा कि इसके बारे में उन्हें शिकायतें मिली हैं और वे इसे और मजबूत एवं सक्रिय करने जा रहे हैं ताकि 100 नंबर की तरह 101 भी लगे। उन्होंने बताया कि हम अब हर थाने के साथ स्वयं को जोड़ने जा रहे हैं। हर थाने में दमकल की एक गाड़ी मौजूद रहेगी। इसके अलावा हर फायर स्टेशन में दो दमकल गाड़ियाँ तैयार रहेगी। हर दमकल गाड़ी में एंड्रायड फोन दिया गया है ताकि हर हादसे की जानकारी अधिकारियों तक पहुँचती रहे और आवश्यक निदेश दिया जा सके। फायर अधिकारी श्री सिपाही सिंह ने बिल्डिंग बायलॉज की जानकारी देने के साथ ही उनके उल्लंघन पर दण्ड के प्रावधानों की भी जानकारी दी।

एक वरीय अग्निशमन अधिकारी के इस वक्तव्य पर कि बहुत से लोग बीमा कंपनी से बीमा की रकम लेने के लिए स्वयं आग लगा देते हैं पर अध्यक्ष ने उन्हें रोक कर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को लूट के मामले में एवं अग्निशमन पदाधिकारियों को आग लगने के मामलों में अपनी मानसिकता को बदलते हुए सिर्फ बीमा को ध्यान में न रखते हुए सर्वप्रथम पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने एवं अग्निशमन पदाधिकारियों को आग पर नियंत्रण का काम करना चाहिए और इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति बीमा कंपनी से क्लेम हेतु लूट का केश करता है और अपने ही प्रतिष्ठान में आग लगाता है।

इस अवसर पर श्री नन्हे कुमार, संयोजक, नगर विकास उप-समिति ने चैम्बर की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया।

बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया (पटना सेंटर) के चेयरमैन श्री एन० के० ठाकुर ने कहा कि नये बिल्डिंग बायलॉज में आग से संबंधित बदलाव पर सभी स्टेक होल्डर्स जैसे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया, CREDAI को बुलाकर एक बैठक करे एवं सकारात्मक बदलाव का प्रयास करे। भविष्य में ऐसा कोई नियम/प्रावधान न हो जो Builder Friendly न हो। बिल्डर एसोसियेशन के सभी सदस्य अग्निशमन विभाग के नियमों को मानने के स्वयं इच्छुक हैं, परन्तु काम के दौरान जो व्यवहारिक परेशानियाँ आती हैं उसे भी विभाग को समझना चाहिए एवं विचार भी करना चाहिए।

श्री ठाकुर ने आगे कहा कि भवन निर्माताओं द्वारा विभाग के नियमों का पालन किया जाता है परन्तु सरकार द्वारा निर्मित भवनों में नियमों का पालन नहीं होता है, उस पर भी विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिल्डर एसोसियेशन ऑफ इंडिया को विभाग की कमीटी में सदस्यता प्रदान करने का अनुरोध भी किया।

परिचर्चा में श्री एम० पी० बिदासरिया, श्री अमित मुखर्जी, श्री आलोक पोद्दार, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, क्रेडाई के चेयरमैन श्री नरेन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष श्री सचिन चन्द्रा एवं डा० विवेक सहित कई लोगों ने अपने सुझाव दिये।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, प्रिन्ट एण्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया के बन्धु सहित चैम्बर सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

अपने धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन ने कहा कि इस बैठक की महत्ता इतनी ज्यादा है कि विश्व के तेजी से उभरते शहरों में पटना का 27वाँ और भारत का 5वाँ शहर है। इसके अतिरिक्त पटना उत्तर-पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब भगवान बुद्ध पटना विहार के लिए आये थे तो उन्होंने कहा था कि इस शहर को आग और पानी का बराबर भय बना रहेगा और इसके बावजूद पटना शहर में अग्नि सुरक्षा हेतु कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।

महामंत्री ने बिहार बिल्डिंग बायलॉज एवं फायर सेफ्टी के प्रावधानों की बारीकियों को सहज और विस्तृत रूप में सदस्यों को जानकारी देने के लिए महानिदेशक श्री पी० एन० राय को धन्यवाद दिया।

चैम्बर द्वारा श्री पारसनाथ राय, भा०प्र०से०, महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं को समर्पित ज्ञापनः-

आदरणीय श्री पी० एन० राय साहब, महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं बिहार अग्निशाम सेवा आज हमारे बीच पधारे हैं, आपका स्वागत है। मैं आज के इस अवसर पर दो-तीन बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे :-

- वर्तमान प्रावधान के अनुसार छोटे-छोटे अपार्टमेंट में भी Fire Stair लगाना आवश्यक होता है। जिससे अपार्टमेंट का बहुत सा एरिया Waste हो जाता है क्योंकि यह एरिया और कोई अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
- पड़ोसी राज्य झारखंड में 800 sq. mtr. तक के निर्माण में Fire Stair लगाने से छूट दी गई है परन्तु बिहार में यह मात्र 500 sq. mtr. पर है। अतः हमारा अनुरोध है कि झारखंड की भाँति बिहार में भी 800 sq. mtr. तक की छूट दी जानी चाहिए।
- भवन निर्माताओं का जो नक्शा अनुमोदन के लिए जमा किया जाता है उसमें काफी समय लग जाता है। इसके लिए हमारा अनुरोध होगा कि इसे Time Bound होना चाहिए। हमारा यह भी अनुरोध होगा कि इसके लिए यदि

अधिकतम 15 दिन के समय का निर्धारण कर दिया जाए तो भवन निर्माताओं को काफी सुविधा होगी।

- ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि बिहार अग्निशाम सेवा अधिनियम में कुछ संशोधन होने जा रहा है। अत: हमारा अनुरोध है कि इसके लिए जो कमिटी गठित होगी उसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए।
- राज्य में पूर्व में सेमी बेसमेंट में Fire Extinguisher से छूट मिली हुई थी परन्तु उसे पुन: लागू कर दिया गया है अत: हमारा अनुरोध है कि सेमी बेसमेंट के लिए पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए।
- बिहार अग्निशाम सेवा की ओर से अपार्टमेंट के निर्माण के लिए एक Guide Line (Ready Reckoner) होना चाहिए जिसमें विस्तार से यह उल्लेख हो कि अग्नि से बचाव के लिए क्या-क्या व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि सहजता से सभी भवन निर्माताओं को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक-सह-पदस्थापन समारोह का किया उद्घाटन

पदस्थापन समारोह का दीप प्रज्ज्वलित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह (दाँयें से चौथे)। उनकी बाँयीं ओर कुलपति डॉ० अरविन्द अग्रवाल, कैट के राष्ट्रीय मंत्री श्री संजय पटवारी एवं अन्य।

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक-सह-पदस्थापन समारोह दिनांक 10 अप्रैल, 2016 को मोतिहारी के बी० के० गार्डेन के प्रांगण में आयोजित हुआ। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया भी विशेष आमंत्रण पर समारोह में उपस्थित थे। समारोह के उद्घाटनकर्त्ता महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के कुलपति डॉ० अरविन्द अग्रवाल एवं मुख्य वक्ता कन्फेडेरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री श्री संजय पटवारी थे।

स्वागतोपरान्त, समारोह का उद्घाटन केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० अरविन्द अग्रवाल और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

अपने सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि 1998 में स्थापित मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने स्थापना काल से ही व्यवसायियों के हित में संघर्षरत है। मेरी शुभकामना है कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति में सदैव तत्पर रहे, व्यावसायिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।

श्री साह ने कहा कि व्यावसायियों की समस्याएं तब तक दूर नहीं होगी जब तक व्यावसायिक संगठन मजबूत नहीं होगा। इसलिए हमें सदैव एक जुटता प्रदर्शित करते हुए व्यावसायियों के हितार्थ आवाज उठानी चाहिए।

श्री साह ने आगे कहा कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का योगदान सराहनीय एवं अनुकरणीय है, इसे और बढ़ाना चाहिए। बिहार चैम्बर आफॅ कॉमर्स की ओर से हम हर सम्भव मदद हेतु तैयार है। इसके साथ ही श्री साह ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी।

इसके पूर्व मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निवर्तमान अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र जालान ने स्वागत सम्बोधन किया। महामंत्री श्री संजय जायसवाल ने चैम्बर के एक साल की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की चर्चा की।

मोतिहारी चैम्बर के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र जालान को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह (दाँयें)। साथ में केविवि के कुलपति डॉ० अरविन्द अग्रवाल (बाँयें) एवं कैट के राष्ट्रीय मंत्री श्री संजय पटवारी।

समारोह को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। मंच पर मोतिहारी चैम्बर के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र जालान, कैट के राष्ट्रीय मंत्री श्री संजय पटवारी एवं अन्य।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० अरविन्द अग्रवाल ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मोतिहारी में केन्द्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना के बाद शिक्षा का विकास तीव्र गति से होगा। इसके माध्यम से उच्चस्तरीय शिक्षा देकर बिहार से प्रतिभाओं के पलायन पर विराम लगेगा जो उच्च शिक्षा के लिए गौरव की बात होगी।

समारोह के दौरान मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से उत्कृष्ट सरकारी अधिकारी एवं नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया। जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी श्री गौरव कुमार, उत्कृष्ट पुलिस पदाधिकारी के रूप में सुगौली के थानाध्यक्ष श्री अवधेश कुमार झा, उत्कृष्ट नागरिक के रूप में प्रचार्य

डॉ० कर्मात्मा पाण्डेय, सर्वश्रेष्ठ वार्ड पार्षद श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव एवं अदम्य साहस के लिए मातुल्या मैचिंग सेंटर के मालिक श्री रामाशंकर प्रसाद को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम संयोजक का वार्षिक पुरस्कार श्री संजय कुमार लोहिया एवं सर्वश्रेष्ठ कार्यकारिणी सदस्य का पुरस्कार डॉ० विवेक गौरव को प्रदान किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री साह ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का सदस्यता प्रमाण-पत्र मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र जालान को प्रदान किया।

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

आदेश

अधिसूचना सं. .....दिनांक ..... बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 24 की उप धारा(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अविनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू कर की दरों मे परिवर्तन के फलस्वरूप त्रैमासिक विवरणी के प्रारूप में संशोधन प्रक्रियाधीन होने के कारण ऑन-लाईन विवरणियों के दाखिला में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के चतुर्थ त्रैमास के लिए विवरणी दाखिल करने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-6083 दिनांक-29.08.2012 के साथ उपाबद्ध तालिका के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट तिथि दिनांक- 31.05.2016 तक विस्तारित की जाती है।

भविष्य में दाखिल होने वाली विवरणियों हेतु पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-6083 दिनांक- 29.08.2012 यथावत् प्रभावी रहेगी।

(सुजाता चतुर्वेदी)
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना

ज्ञापांक- बिक्री-कर/विविध-43/2011-1465 पटना दिनांक-13.04.2016

प्रतिलिपि- सचिव, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/सचिव, बार एसोसिएशन, वाणिज्य-कर भवन, पटना/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना/ बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुजाता चतुर्वेदी)
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-TRU /वैट अंकेक्षण (दीर्घ योजना) 20/2015 (खंड-I) पटना, दिनांक

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम, 27) की धारा 26 की उपधारा (2) के साथ पठित बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्बंधित व्यवसायियों के वित्तीय वर्ष 2014-15 के व्यवसाय के विस्तृत वैट अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के लिए निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं:-

(1) अंचल में शीर्ष कर भुगतान करने वाले 15 व्यवसायी।

(2) कंडिका 1 को छोड़कर शेष व्यवसायियों में से :-

(i) अंचल में कर भुगतान करने वाले 4 (चार) शीर्ष कार्य संवेदक।

(ii) अंचल में निविष्ट कर अग्रेनीत (ITC carry Forward) करने वाले 4 (चार) शीर्ष व्यवसायी।

(iii) अंचल में ऋणात्मक वृद्धि दर से कर भुगतान करने वाले 4 (चार) शीर्ष व्यवसायी।

(iv) अंचल के 4 (चार) ऐसे शीर्ष व्यवसायी जिनके द्वारा प्रपत्र D-IX का उपयोग नहीं किया जाता अपितु प्रपत्र D-X के आधार पर राज्य के बाहर माल प्रेषित किया जाता है।

(v) अंचल के 4 (चार) शीर्ष विनिर्माता (Manufacturer) व्यवसायी, (ईंट-भट्ठा को छोड़कर)।

(vi) अंचल के ऐसे व्यवसायी जिनका ₹ 5 (पाँच) लाख से अधिक Refund का मामला बनता है।

(vii) Edible oil/Iron & Steel/Marble Granite/Timber/ Foot-wear/Jewellers / Auto Parts प्रक्षेत्र में प्रत्येक Commodities के अंतर्गत व्यवसाय करने वाले अंचल के शीर्ष 3 (तीन) व्यवसायी।

परन्तु निम्नांकित श्रेणी के व्यक्सायी को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु वैट अंकेक्षण से मुक्त रखा गया है:-

(i) धारा 15 (1), 15 (4) एवं 15 (IA) के अधीन लघु करदाता योजना एवं समाहितीकरण योजना के अंतर्गत विवरणी दाखिल करने वाले व्यवसायी।

(ii) पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा व्यवसायी यथा- पेट्रोल पम्प

(iii) धारा 15 (5) (b)(II) के अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य के वस्तुओं यथा, दवाई, खाद एवं कीटनाशक इत्यादि से संबंधित खुदरा व्यवसायी।

(iv) देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं आई. एम. एफ. एल. के खुदरा व्यवसायी।

(v) वैसे व्यवसायी जिन्होंने वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कर मद में ₹ 1 (एक) करोड़ से अधिक भुगतान किया है तथा वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में स्वीकृत कर के भुगतान में 30 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की है।

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कुल 2829 व्यवसायी अंकेक्षण हेतु चयनित किये गये हैं, जिनकी प्रमंडलवार एवं अंचलवार सूची अनुलग्क के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

(सुजाता चतुर्वेदी)
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना

पत्रांक-TRU/वैट अंकेक्षण (दीर्घ योजना) 20/2015(खंड-II)1303, पटना, दिनांक - 5.4.2016

प्रतिलिपि- सचिव, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/सचिव, बार एसोसिएशन, वाणिज्य कर भवन, मुजफ्फरपुर/ सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना/बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईबेरी रोड, पटना/ सचिव, फूड ट्रेड यूनियन, एक्जीविशन रोड, पटना/ महासचिव, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सूजागंज, भागलपुर/अध्यक्ष, सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लहरिया टोला, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुजाता चतुर्वेदी)
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना

बिहार के व्यवसायी सुनहरे अवसर का लाभ अवश्य उठावें

1. बिहार वित्त अधिनियम 1981
2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005
3. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम 1988
4. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948
5. बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम 2007
6. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948
7. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016

वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों के सनाधान हेतु **"बिहारी कराधान विवाद अधिनियम 2016" 07 अप्रैल 2016 से 06 जुलाई 2016 तक लागू है।**

समाधान हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि 21 जून 2016 है।

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in या e-Gazette, Bihar पर प्राप्त की जा सकती है। **(साभार: हिन्दुस्तान, 15.4.16)**

''रि-बिल्डिंग नेपाल-थ्रू हार्नेसिंग ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट पोटेंशियल'' विषय पर सेमिनार आयोजित

संगोष्ठि में उपस्थित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह (बाँयें से चौथे)। उनकी बाँयीं ओर नेपाल के महामहिम राजदूत श्री दीप कुमार उपाध्याय, बीरगंज चैम्बर के ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार केडिया, माननीय मंत्री (आर्थिक) श्री डुंडी राज पोखारेल तथा दाँयीं ओर बीरगंज चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वैद्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड के सीईओ श्री दीपक राज जोशी एवं अन्य।

''रि-बिल्डिंग नेपाल-थ्रू हार्नेसिंग ट्रेड इन्वेस्टमेन्ट पोटेंशियल'' विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (फिक्की) एवं नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास की ओर से दिनांक 28 अप्रील 2016 को पटना के होटल मौर्या में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत में नेपाल के राजदूत महामहिम श्री दीप कुमार उपाध्याय, नई दिल्ली में नेपाली दूतावास के माननीय मंत्री (आर्थिक) श्री डुंडी राज पोखारेल, नेपाल के माननीय सांसद श्री प्रदीप गिरी, नेपाल टुरिज्म बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दीपक राज जोशी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार केडिया, संयुक्त आयुक्त कस्टम, श्री प्रमोद केडिया, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल एवं कोषाध्यक्ष डा० रमेश गाँधी एवं काफी संख्या में चैम्बर के सम्मानित सदस्य उपस्थित थे।

अपने स्वागत संबोधन में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि ''रि-बिल्डिंग नेपाल थ्रू हार्नेसिंग ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट पोटेंशियल'' विषय पर आयोजित सेमिनार में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। मैं फिक्की एवं नई दिल्ली अवस्थित नेपाली दूतावास को सही मौके पर ऐसे उपयोगी संगोष्ठि के आयोजन करने के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सह-मेजवान (Co-host) के नाते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने भी इस आयोजन को भव्य, सफल एवं सार्थक बनाने के लिए अपना आवश्यक सहयोग और समर्थन दिया है।

श्री साह ने कहा कि नेपाल और भारत के आर्थिक संबंध अद्वितीय (Unique) है। नेपाल के नागरिकों के बीच ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषा, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध हैं। सरकारी एवं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित संस्थान लगभग समान है। इसलिए भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक एवं अन्य संबंधों का एक अलग महत्व है। भारत और नेपाल के बीच प्राचीन काल से घनिष्ठ संबंध रहा है। वस्तुत: ईश्वर और प्रकृति ने दोनो देशों को एक दूसरे का पूरक बनाया है। बिहार के लोगों के साथ नेपाल का बेटी-रोटी का संबंध है जो इन दोनो देशों के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करता है। आवश्यकता इस बात की है कि दोनो देश धार्मिक-पर्यटन को बढ़ावा दे और बुद्ध सर्किट जिसमें लुंबिनी, बोधगया, वैशाली, नालन्दा, कुशीनगर, कपीलवस्तु इत्यादि को शामिल किया जाए और ऐसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनो देश संयुक्त प्रयास करे।

चैम्बर अध्यक्ष ने आगे कहा कि इसी प्रकार रामायण सर्किट बनाये जाने की आवश्यकता है जिसमें अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर आदि को शामिल किया जा सकता है। इसी तरह शैव सर्किट की भी संभावना है जिसमें वाराणसी, वैद्यनाथधाम और पशुपतिनाथ को शामिल किया जा सकता है।

श्री साह ने कहा कि बिहार में वर्त्तमान में अच्छी खासी संख्या में पर्यटक भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का दर्शन एवं पूजन को आते हैं। पर्यटन को विकसित करने के लिए पटना एवं काठमांडू की हवाई सेवा को पुन: शुरू किया जाना अत्यावश्यक है। सस्ती परिवहन सेवा भी दोनो देशों के बीच वृहत व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

गत् वर्ष 25 अप्रील 2015 को नेपाल में हुए विनाशकारी भूकम्प के चलते यह पहाड़ी देश तबाह हो गया। तब से नेपाल अपने हिमालयी इच्छाशक्ति के बल पर अपने उपलब्ध संसाधनों एवं भारत जैसे पड़ोसी देशों के त्वरित सहायोग से अपने पुनर्निर्माण में जुट गया है और काफी हद तक अपने मिशन में कामयाबी पायी है परन्तु अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

महामहिम राजदूत श्री दीप कुमार उपाध्याय ने भारत-नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों पर जोर दिया और कहा कि दोनो देशों का संबंध आज का नहीं प्राचीन काल से बना हुआ है। इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल के संबंधों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह अतुलनीय है। चीन की ओर नेपाल का झुकाव नहीं हो सकता। अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक विरासतों के कारण चीन से नेपाल का संबंध भारत से बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने रक्सौल-मोतीहारी सड़क को दुरूस्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि रक्सौल स्टेशन व यार्ड सुधरे, पटना से सुपरफास्ट ट्रेन मिले तो नेपाल से आवागमन और व्यापार करना और सहज हो जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि करार के बाद नेपाल की पनबिजली भारत, विशेषकर बिहार को मिलेगी।

माननीय नेपाली सांसद श्री प्रदीप गिरी ने कहा कि दोनो देशों को बड़ा व छोटा भाई को छोड़कर केवल भाई-भाई के संबंध पर काम करना चाहिए। इण्डो -नेपाल संस्था बने और समय-समय पर सेमिनार आयोजित हो।

बीरगंज चैम्बर के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार केडिया ने दोनों देशों के बीच व्यापार में होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया।

बीरगंज चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वैद्य ने कहा कि

दोनों देशों के संबंधों पर खुलकर चर्चा हो। हाल के दिनों में नेपाल में भारत विरोधी बातें हुई है। इसके कारण व समाधान पर चर्चा होनी चाहिए। नेपाल-बिहार का संयुक्त पर्यटन बोर्ड बने। युनेस्को ने नेपाल को दुनिया का स्वच्छ देश घोषित किया है। उन्होंने सबों को नेपाल आने का न्योता दिया।

सेमिनार में भारत में नेपाल के दूतावास में माननीय आर्थिक मंत्री श्री डी० राज पोखारेल ने उद्योग-नीति व विदेशी निवेश की जानकारी दी और बिहार-नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार की कई तकनीकियों को साझा किया।

नेपाल पर्यटन बोर्ड के सीईओ श्री दीपक राज जोशी ने कहा कि बुद्ध सर्किट दोनों देशों के पर्यटन को एक नई दिशा दे सकती है।

फिक्की के प्रतिनिधियों ने कहा कि पर्यटन उद्योग नेपाल के नागरिकों के आमदनी का सबसे बड़ा साधन रहा है। हाँलाकि पिछले वर्ष के विनाशकारी भूकम्प के चलते नेपाल में पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गयी हैं ऐसे में बिहार के निवेश को एवं उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे इस क्षेत्र मे निवेश कर बड़ा रिटर्न पायें।

बिहार में पीना ही नहीं पिलाना भी जुर्म

गुजरात और नागालैंड के बाद

बिहार पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य

• राज्य में देसी सहित विदेशी शराब पर भी लगा प्रतिबंध • बेचना, खरीदना ही नहीं पीना भी बना अपराध • शराब उत्पादन इकाइयों पर भी खतरे के बादल • राज्य सरकार शराब के नए लाइसेंस नहीं देगी और पुराने लाइसेंस इस फैसले के बाद निरस्त हो जाएंगे।

बिहार में आंशिक शराब बंदी को मिले जबरदस्त समर्थन से खुश होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में आंशिक शराबबंदी लागू कर दी गई थी लेकिन अब मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी प्रकार की शराब पर पूर्ण पाबंदी तत्काल प्रभाव से लगाने की घोषणा की है।

इस फैसले के बाद अब राज्य में किसी भी प्रकार की शराब नहीं मिलेगी। बिहार में होटलों और रेस्तरांओं में भी अब कोई शराब नहीं परोसी जाएगी। साथ ही बिहार में शराब पीना भी कानूनन अपराध होगा। राज्य सरकार शराब के नए लाइसेंस नहीं देगी और पुराने लाइसेंस इस फैसले के बाद निरस्त हो जाएंगे। इस तरह, गुजरात और नागालैंड के बाद बिहार पूर्ण शराबबंदी को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मणिपुर और केरल में शराब की बिक्री पर आंशिक पाबंदी है।

इससे पहले बिहार में देसी और मसालेदार शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही, राज्य में सिर्फ शहरी इलाकों में देश में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की बिक्री की इजाजत दी गई थी। इसके लिए भी राज्य सरकार ने अपने दुकान खोले थे। साथ ही कई इलाकों में महिलाओं ने सरकारी दुकानों को खोलने का भी विरोध किया था। इस के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में फैसला लिया।

राज्य मंत्रिमंडल ने दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को इस फैसले पर मुहर भी लगा दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 'पहले चार दिन में देसी शराब पर लगी रोक को जबरदस्त जनसमर्थन मिला है। यह जनजागरण के एक अभियान के रूप में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा माहौल बन गया कि हमने चार दिनों के भीतर ही विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया। महिलाएँ सरकारी दुकानों का भी विरोध कर रही थीं। शराब के खिलाफ राज्य में एक अच्छा माहौल बन चुका था। हमें लगा कि यह राज्य में सामाजिक बदलाव का सही समय है, इसीलिए हमने राज्य में तुरंत प्रभाव से पूर्ण शराब बंदी को लागू करने का फैसला लिया है।'

उन्होंने कहा कि राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध होगा साथ ही बिहार में किसी भी शराब के थोक और खुदरा कारोबार पर प्रतिबंध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब का उपभोग भी अपराध होगा। केवल सेना की कैंटीन को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बिहार में शराब उत्पादन नियंत्रित करने का फैसला किया है। इस बारे में पूछे जाने पर श्री कुमार ने कहा कि राज्य में शराब के कारोबार को फलने-फूलने नहीं दिया जा सकता। इन कर्पनियों के लिए अब राज्य में कोई बाजार नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कारोबारी दूसरे राज्यों के लिए उत्पादन करना चाहते हैं तो वे करें। उन्होंने कहा, 'हालांकि हम अब राज्य में शराब उद्योग को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। अगर वे राज्य से बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं।' बिहार में कोबरा और कर्ल्सबर्ग ने अपने बियर संयंत्र लगाए हैं। साथ ही यूनाइटेड ब्रुअरीज भी पटना के पास एक बीयर उत्पादन इकाई लगा रही है। **(बिजनेस स्टैंडर्ड, 6.4.2016)**

बिहार में अब नहीं मिलेगा शराब फैक्ट्री का लाइसेंस

बिहार सरकार अब राज्य में शराब कंपनियों को राज्य में इकाई लगाने की इजाजत नहीं देगी। साथ ही, शराबबंदी लागू होते ही राज्य में मौजूद शराब उत्पादन इकाइयों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राज्य सरकार ने इस बारे में अपनी स्थिति साफ कर दी है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.4.2016)**

Prohibition will not impact tourist inflow : CM

Do not come to Bihar to drink liquor, chief minister Nitish Kumar said while defending total prohibition in the state.

The context was the total liquor ban's impact on the state's tourism and hospitality industry. "Agar sharab peena hai to yaha mat aaye (if you must drink, do not come here)," Nitish said on the sidelines of his weekly janata durbar at 1 Aney Marg.

Complete prohibition in a state that receives foreign tourists is taking a toll on those attached with the state's tourism and hospitality industries.

But Nitish rubbished the possibility of prohibition having any impact on the tourism and hospitality industries. "I took the decision after going through every angle. Those who are saying that prohibition will have impact on tourism and hospitality are talking nonsense," Nitish said. " Most Bihar-bound tourister are spiritual tourists. They come here for meditation or pinddaan (a Hindu ritual for the salvation of one's ancestors) and not to drink liquor."

Earlier, the Bihar Chamber of Commerce and Industry president O. P. Sah had said the government should have allowed liquor in starred hotels and clubs and that the ban would impact hospitality and tourism. But Nitish had a different take. "If I had allowed liquor in hotels and clubs, then people would have said I am giving privilege to a few, " he said. "That's why I decided on complete ban. I don't think people go hotels only to drink. But if it is so, then it is bad for the hotel industry hotel industry's image."

After first announcing partial prohibition on April 1, Nitish announced total prohibition on April 5. He had earlier said Indian-made foreign liquor would be banned in a phase-wise manner and the Bihar State Beverages Corporation Limited (BSBCL) would sell it. The government proposed to open 650 liquor shops from April I, But BSBCL Struggled to open the shops.

Nitish said people who were spending money on liquor will now spend it in other sectors and generate revenue for the state. "I have got full support of people here. The demand is now across India, even in Tamil Nadu and Jharkhand." He said he was against liquor but not against any individual and those found violating the prohibition would be punished as per law. **(Source : Telegraph,12 .4. 16)**

बिहार में वाणिज्य कर वसूली में 26% की वृद्धि

देश में अव्वल है यह वृद्धि, 4 साल में 65 सौ करोड़ की वृद्धि, राज्य की आमदनी का 70% हिस्सा वाणिज्य कर से आता है

वाणिज्य कर की वसूली में बिहार ने इस बार लंबी छलांग लगाई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2015-216 में 26 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि देशभर में अव्वल है। बिहार को कर के रूप में होने वाली आमदनी में 70 फीसदी से अधिक हिस्सा वाणिज्य कर का ही होता है। ऐसे में राज्य के विकास में खर्च के लिए काफी हद तक वाणिज्य कर पर निर्भरता होती है। 2015-16 में 17 हजार 200 करोड़ वसूली लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 17 हजार 375 करोड़ की वसूली हुई। 2014-15 में 13 हजार 759 करोड़ वाणिज्य कर की वसूली की गई थी। 2016-17 में 22 हजार करोड़ वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले चार सालों के आंकड़े देखें तो वाणिज्य कर की वसूली में करीब साढ़े छह हजार करोड़ की वृद्धि हुई है।

2012-13 में इसकी वसूली 10 हजार 911 करोड़ थी। वाणिज्य कर वसूली में राज्य में सबसे अधिक वृद्धि पूर्णिया डिविजन ने दर्ज की। पूर्णिया डिविजन में 28, तिरहुत डिविजन में 25.5, गया डिविजन में 25, भागलपुर में

24, केन्द्रीय डिविजन में 22, पटना पश्चिमी डिविजन में 20 और पटना पूर्वी डिविजन में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है।

लंबी छलांग : • देश में अव्वल है यह वृद्धि, चार साल में 6500 करोड़ की वृद्धि • राज्य की आमदनी का 70 फीसदी हिस्सा वाणिज्य कर से आता है • 17 हजार 200 करोड़ वसूली लक्ष्य था 2015-16 में • 22 हजार करोड़ वसूली का लक्ष्य रखा गया 2016-17 में।

"कर वसूली के लिए राज्य सरकार के स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग होती है। इसमें और वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।"

–बिजेन्द्र यादव, वाणिज्यकर मंत्री

अन्य राज्यों में इस साल वृद्धि

उत्तर प्रदेश	10 फीसदी	मध्य प्रदेश	10 फीसदी
झारखंड	13 फीसदी	राजस्थान	08 फीसदी
दिल्ली	11 फीसदी	महाराष्ट्र	04 फीसदी
पश्चिम बंगाल	8.5 फीसदी		

(साभार: हिन्दुस्तान, 9.4.2016)

GST WORRY FOR TEA INDUSTRY

The tea industry has expressed concern over the negative impact of high taxation rate on account of the introduction of the goods and services tax (GST) bill. The Indian Tea Association (ITA) has placed recommendations seeking the government's consideration on this matter.

"Any GST rate or additional tax incidence higher than the current value added tax (VAT) rate of 5-6 per cent may work negatively for the tea industry. Moreover, an increase in tax cost will have an inflationary effect," said Arijit Raha. secretary-general of the ITA.

According to the ITA, a committee headed by chief economic adviser Arvind Subramanian had tabled a two-rate GST structure with a lower rate of 12 per cent, a standard rate in the range of 16.9-18.9 per cent and a higher rate for luxury goods of 40 per cent.

However, even at a concessional rate of 12 per cent, the tax cost on tea is expected to increase. At present, tea is also exempt from excise duty.

BITTER BREW : • GST may have negative impact on tea in the form of high taxation rate • Two-rate GST structure proposed; Lower rate of 12% standard rate in the range of 16.9-18.9% and higher rate for luxury goods of 40% • Tea is exempt from excise duty; is subject to concessional VAT rate in most states in the range of 5-6% • Proposed GST structure likely to make auctions unattractive. **(Details : Telegraph, 11.4.2016)**

राज्य में 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव

बिजली बिल पुराने दर पर भुगतान करेंगे : पटना सहित पूरे राज्य के बिजली उपभोक्ता पुराने दर पर ही बिजली बिल का भुगतान करेंगे। राज्य के 67 शहरों में मोबाइल एप्लिकेशन से बिलिंग की जाएगी। मिनिमम मंथली चार्ज से घरेलू उपभोक्ता 2 मुक्त रहेंगे।

ईंट पर 10 प्रतिशत बढ़ेगा टैक्स : पहली अप्रैल से बिहार में ईंट पर 10 प्रतिशत कंपाउंडिंग टैक्स बढ़ जाएगा। वाणिज्य कर विभाग ने शहर (क्षेत्र) एवं उत्पादन क्षमता के अनुसार ईंट-भट्ठा व्यापारियों पर तीन श्रेणियों में कंपाउंडिंग टैक्स तय किया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2016)**

नेपाल जाने वाले कपड़ों पर नहीं लगेगा वैट

वाणिज्यकर विभाग ने कहा है कि नेपाल या अन्य किसी देश में निर्यात होने वाले कपड़ों पर वैट नहीं लगता। इस कारण यह कहना उचित नहीं होगा कि वैट लगा दिए जाने के कारण नेपाल में कपड़ा महंगा हो गया है।

बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेपाल यात्रा के दौरान इंड़ो-नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। वाणिज्यकर विभाग ने सांविधान के अनुच्छेद 286 और वैट एक्ट- 2005 की धारा-6 के प्रावधान के मुताबिक, कपड़ों के एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगता है। कपड़ों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क केन्द्र सरकार लगाती थी जिसे 2011 में बंद कर दिया गया। इस कर की हिस्सेदारी राज्यों को भी मिलती थी। अब चूकि जीएसटी लागू होना है और उसके तहत कपड़े पर भी टैक्स लगना है, इसलिए राज्य सरकार ने वैसे कपड़ा व्यापारियों को टैक्स के दायरे में शामिल किया है जिनका टर्नओवर 10 लाख से अधिक का है। चूँकि जीएसटी के लागू होने पर अचानक टैक्स लगने से बेचैनी बढ़ती इसी कारण राज्य सरकार ने पहले टैक्स लगाया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.3.2016)

अब आयकर रिटर्न के साथ देना होगा अपनी संपत्तियों का ब्योरा

अगर आपकी आय पचास लाख रुपये सालाना से अधिक है तो आपको इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी चल-अचल संपत्तियों और आभूषणों का ब्योरा भी देना होगा। केन्द्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 'सहज' में इस आशय के बदलाव किए हैं। नया फॉर्म अधिसूचित कर दिया गया है। असेसमेंट वर्ष 2016-17 के लिए जारी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में इसके लिए कॉलम भी तय कर दिया गया है। फॉर्म में जिन सपत्तियों का ब्योरा देना है, उसका स्पष्ट वर्णन है। पहला कॉलम अचल संपत्तियों का है, जिसमें भूमि, इमारत अथवा यदि दोनों है तो उनका ब्योरा देना होगा। विवरण में सरकार ने कीमत की जानकारी मांगी है। दूसरा कॉलम चल संतत्तियों का है, जिसमें नकदी, ज्वैलरी, सोना और वाहनो, लक्जरी नौका व विमान वगैरह का ब्योरा देना है। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि सिर्फ डेढ़ लाख अति अमीरों पर ही इस बदलाव का असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने नए फॉर्म से संबंधित गजट आदेश 30 मार्च को पारित किया। **(साभार : दैनिक जागरण, 2.4.2016)**

The top 1% will now have to pay 15%

The Income tax surcharge on 'super rich' - those with income of more than Rs 1 crore - has gone up to 15% from the existing 12 %.

That means, the burden on the taxpayer will increase Rs 92,700 for every Rs 1-crore income. The effective income tax for super-rich has now become 34.6 % from 35.5%.

Infact, this is the second time finance minister Arun Jaitley has increased the super-rich surcharge since took charge of the ministry.

YOUR TAX BURDEN OVER THE YEARS

Year	Minimum income for Lax (Rs)	Tax rate (%)	Income at which highest tax rate starts (Rs)	Highest tax rate (%)	Income at which surcharge is levied (Rs)	Rate of Sur-charge (%)	Highest tax rate including surcharge
2000-01	50,000	10	1,50,000	30	60,000	10	34.5
2001-02	50,000	10	1,50,000	30	60,000	2	30.6
2002-03	50,000	10	1,50,000	30	60,000	5	31.5
2003-04	50,000	10	1,50,000	30	8,50,000	10	33.0
2004-05	50,000	10	1,50,000	30	8,50,000	10	33.6
2007-08	1,10,000	10	2,50,000	30	10,00,000	10	33.9
2009-10	1,60,000	10	5,00,000	30	10,00,000	10	33.9
2010-11	1,60,000	10	5,00,000	30	No surcharge	-	30.9
2011-12	1,80,800	10	8,00,000	30	No surcharge	-	30.9
2012-13	2,00,000	10	10,00,000	30	No surcharge	-	30.9
2013-14	2,00,000	10	10,00,000	30	1,00,00,000	10	33.99
2014-15	2,50,000	10	10,00,000	30	1,00,00,000	10	33.99
2015-16	2,50,000	10	10,00,000	30	1,00,00,000	12	34.61
2016-17	**2,50,000**	**10**	**10,00,000**	**30**	**1,00,00,000**	**15**	**35.54**

For Income higher than Rs. 5 L, exemption limit is Rs. 2 L.

(Source : Time of India, 1.3. 2016)

रिटर्न की तरह ऑनलाइन अपील

आधार-नेटबैंकिंग के जरिये कर अधिकारी से घर बैठे अपील की सुविधा

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए आधार और नेट बैंकिंग आधारित ई फाइलिंग सत्यापन प्रणाली शुरू कर दी है। इसके जरिये आयकरदाता कर अधिकारी के सामने पहली अपील दायर कर सकेंगे। विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।

यह प्रणाली ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग की तरह ही है। विभाग ने कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी तरह की यह पहली सुविधा शुरू की। एक इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) का इस्तेमाल करदाता के एक ही फॉर्म की पुष्टि के लिए किया जा सकता है।

• 3.5 करोड़ से अधिक आयकरदाता है फिलहाल भारत में • 03 फीसदी से भी कम लोग हैं कुल आबादी के जो देश में आयकर जमा करते हैं

क्या है सुविधा : • ईवीसी आधार या नेट बैंकिंग पहचान के आधार पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की तरह होगा • इसे करदाता के मोबइल या

ई-मेल पर भेजा जाएगा • ईवीसी का इस्तेमाल करदाता के एक ही फॉर्म की पुष्टि के लिए होगा • अपील के फॉर्म में दस्तावेज भी नत्थी किए जा सकते हैं

क्या होगा फायदा : • करदाताओं का समय और पैसे की बचत होगी • अधिकारी और करदाताओं में सीधा संपर्क होगा • काम जल्द होने से विभाग पर काम का बोझ घटेगा

फॉर्म नंबर 35 भरना होगा : अपील के लिए फॉर्म नंबर 35 निर्धारित किया गया है जो दो पेज का है। इसे विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से अपलोड कर सकते हैं। इसमें डिजिटल हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

चार स्तर पर होती है अपील : आयकर से जुड़ी अपील चार स्तर की होती है। पहली अपील आयकर आयुक्त के पास, दूसरी आयकर अपील प्राधिकरण, तीसरी हाई कोर्ट और अंतिम सुप्रीम कोर्ट में की जाती है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.4.2016)

13 बैंकों में निष्क्रिय पड़े हैं 8.68 करोड़ खाते

आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ खुलासा

देश के 13 सरकारी बैंकों के 8,68,49,859 देसी और विदेशी खाते पाँच साल या उससे ज्यादा समय से निष्क्रिय हैं जिनमें 28750.43 करोड़ रुपए, 145148 ब्रितानी पाउंड, 2867.22 अमेरिकी डालर, 13.33 लाख हांगकांग डालर तथा 4.01 लाख सिंगापुर डालर पड़े हैं।

दिल्ली के एक स्थानीय निवासी द्वारा सभी सार्वजनिक बैंकों में पांच साल या उससे ज्यादा समय से निष्क्रिय पड़े खातों तथा उनमें मौजूद राशि के बारे में वित्त मंत्रालय से सूचना का अधिकार (आर टी आई) के तहत जानकारी मांगी गई थी। मंत्रालय ने सभी बैंकों को आरटीआई की कापी भेजकर जानकारी देने के लिए कहा था। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अनुषंगी इकाइयों सहित सिर्फ 21बैंकों ने जवाब देना उचित समझा। इनमें एसबीआई, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी), बैंक आफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, आंध्रा बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने मांगी गई जानकारी दी।

सबसे ज्यादा 3905173 खाते एसबीआई में निष्क्रिय हैं। इनमें 17887.85 करोड़ रुपए पड़े हैं। इसके अलावा बैंक के 41161 लाकर भी पाँच साल या ज्यादा समय से निष्क्रिय हैं। सेंट्रल बैंक के 12141895 खातों में 2075 करोड़ रुपए तथा सिंडिकेट बैंक के 8224219 देसी तथा 128 विदेशी खातों में 1715 करोड़ रुपए और 144648 ब्रितानी पाउंड पड़े हैं। लाकरों के मामले में आईओबी में सबसे ज्यादा 43889 लाकर पाँच साल से नहीं खोले गये हैं।

जहाँ 13 सार्वजनिक बैंकों को जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वहीं स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) समेत कुछ आठ बैंकों ने गोपनीयता सहित विभिन्न कारणों का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। एसबीटी, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि वे इस तरह के आंकड़े नहीं रखते। इलाहाबाद बैंक ने कहा संबंधित विभाग यह जानकारी नहीं रखता।

आईडीबीआई बैंक ने कहा कि मांगी गई जानकारी आर टी आई के दायरे से बाहर है। कापोरेशन बैंक तथा इंडियन बैंक ने वित्तीय गोपनीयता का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। बैंकों ने बताया कि वे ग्राहकों के पते पर पत्र भेजकर, मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर तथा अन्य संपर्क माध्यमों से निष्क्रिय पड़े खातों के ग्राहकों को खातों में लेनदेन शुरू करने की सलाह देते रहते हैं।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 11.4.2016)

गरीबों की कुर्की, अमीरों को ढील क्यों : सुप्रीम कोर्ट

बड़े कजेदारों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अमीर लोग करोड़ों का कर्ज लेकर खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं, लेकिन बैंक उन पर कार्रवाई नहीं करते। वहीं, गरीब किसान अगर मामूली सा कर्ज न चुकाए तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है।

आरबीआई क्या कर रहा : मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की पीठ ने कहा कि आरबी आई का काम बैंकों पर नजर रखना भी है। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि बैंक आम जनता का पैसा किसे कर्ज के रूप में दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के साथ केन्द्र सरकार से भी पूछा कि वे बकायेदारों से रकम वसूलने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

> "कुछ लोग बैंकों से कर्ज लेते हैं। बड़ी कंपनियां बनाते हैं आर थोड़े दिन में दिवालिया घोषित हो जाते हैं। इन पर सिर्फ केस चलता रहता है।"
>
> **– सुप्रीम कोर्ट**

क्या था मामला : पीठ ने गत माह एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था। इसमें कहा गया था कि 2013-15 के दौरान 1.14 लाख करोड़ का कर्ज सरकारी बैंकों ने माफ कर दिया है। पीठ ने रिजर्व बैंक से कहा था कि वह 500 करोड़ रुपये और उससे ऊपर वाले बकायेदारों के नाम दे। कोर्ट ने कहा था कि इनके पास बैंकों का कर्ज लौटाने का पैसा नहीं है, लेकिन ये विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोई से कहा कि जो बैंक उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।

इनके नाम बता दें? : आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बकायेदारों की एक सूची सौंपी हैं। इसमें 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के देनदारों के नाम हैं। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक एसोसिएशन से पूछा है कि क्यों न इन लोगों के नाम बता दिए जाएं?

आरबीआई विरोध में : आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने का विरोध किया है। उसका कहना है कि ऐसा होने पर देश की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा। **(साभार: हिन्दुस्तान, 13.4.16)**

आईडीबीआई बैंक को काली सूची में डालने की अनुशंसा

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत 10,179 आवेदनों को पिछले कई महीने से आईडीबीआई बैंक ने निपटारा नहीं किया है। डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग से बैंक को काली सूची में डालने और कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

आईडीबीआई बैंक को सभी परियोजनाओं के तहत कुल 11, 899 आवेदन भेजे गए थे। इसमें से बैंक ने सिर्फ 1,720 बांड ही उपलब्ध कराए हैं। पहले भी बैंक के वरीय प्रबंधक और अन्य पदाधिकारियों को योजना से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने का निर्देश दिया था, लेकिन बैंक के कार्यों में कोई सुधार नहीं होने के कारण कार्रवाई की नौबत आई है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.4.16)**

Policy meet on banks

The Banks Board Bureau, formed to recommend the government on the selection of heads of public sector banks and financial institutions and help lenders to develop strategies and fund-raising plans, held its first meeting.

Former comptroller and Auditor General Vinod Rai has been appointed as the chairman of the bureau. The other members include former chairman and managing director Bank of Baroda Anil Khandelwal, former joint managing director of ICICI Bank. H. N. Sinor and former managing director & CEO of Crisil Rupa Kudwa.

The bureau, which will be based in Mumbai, held its meeting at the RBI headquarters. RBI Governor Raghuram Rajan, deputy governor S. S. Mundra and minister of state for finance Jayant Sinha were also present at the meet. "Excellent discussions at the Bank Boards Bureau meeting today," Sinha tweeted.

It is learnt that senior-level appointments at PSU banks and the consolidation of these lenders were the issues that came up during the meeting.

Finance minister Arum Jaitley had said the centre would push for the merger of some of the state-run banks once they were adequately recapitalised.

RATE-CUT CALL

Economic affairs secretary Shaktikanta Das said banks were expected to cut interest rates over the nest few days in light of the recent monetary policy easing by the RBI.

"Banks are autonomous and the government has given very strong signal by maintaining the fiscal deficit at 3.5 per cent and resetting small savings rates. The RBI has reduced the policy rate by 25 basis points. One would expect banks to take a policy call and I am sure they would do it in days and weeks to come." he said.

(Source : Telegraph, 9 .4. 2016)

10 लाख करोड़ तक पहुँचेगा बैंकों का NPA

एसोचैम की रिपोर्ट में किया गया है आकलन, और बिगड़ सकती है बैलेस शीट

लोन रिकवरी को लेकर मुश्किलें झेल रहे बैंकों का कुल नॉन परफार्मिंग एसेट (एनपीए) 2015-16 के चौथे क्वार्टर में 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुँच सकता है। बैंकों के बैड लोन स्टील, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स से सबसे ज्यादा है। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

रिपोर्ट में क्या कहा गया है? : रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसम्बर 2015 के अंत तक बैंकों का कुल जोखिम वाला एसेट जिसमें एनपीए और रिस्ट्रक्चर्ड एसेट शमिल हैं, आठ लाख करोड़ रुपए था, बीते 31 मार्च को समाप्त क्वार्टर में इसके बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए के पार जाने की आशंका है। अनुमान के अनुसार, एसेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर) के तहत क्वार्टर के दौरान बैंकों ने एक लाख रुपए के एनपीए की पहचान की है जो उनके बैलेंसशीट का संतुलन बिगाड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसारए सरकारी बैंकों का मार्च 2015 में एनपीए 2. 67 लाख करोड़ था। दिसम्बर 2015 में यह बढ़कर 3.61 लाख करोड़ रुपए हो गया। प्राइवेट बैंकों को कुल एनपीए दिसम्बर अंत तक 39,859 करोड़ रुपए हो गया, जो मार्च 2015 में 31, 576 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट में कहा गया हैं कि बैड लोन के चलते सभी बैंकों का मुनाफा प्रभावित हुआ है। 11 सरकारी बैंकों को पिछले फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर में 12,867 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

क्यों है बढ़ाने का अनुमान : बैंकों की ओर से किए गए एडवांस टैक्स पेमेंट के आंकड़ों के आधार पर एसोचैम ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के चौथे क्वार्टर में भी बैंकों का प्रदर्शन खराब रहेगा तथा उनके एनपीए में बढ़ोतरी होगी। चौथे क्वार्टर में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 690 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा कराया है जबकि 2014-15 की समान क्वार्टर में उसने 1,749 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराया था। इससे जाहिर होता है कि बैंक मुनाफे में बड़ी गिरावट की संभावना देख रहा है। **(साभार : I-next, 18.4.2016)**

Airtel M Commerce gets payments bank licence

Bharti Airtel said its subsidiary Airtel M Commerce Services Ltd (AMSL) has been granted payments bank licence by the Reserve Bank of India (RBI). **(Details : Fin. Exp., 21.4.2015)**

शिक्षा ऋण पर बिहार सरकार का जोर

बिहार में शिक्षा ऋण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बैंकों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इसके तहत राज्य सरकार उन बैंकों में ज्यादा रकम जमा करेगी जो उसकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को आगे बढ़ाएंगे। राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में करीब 5 लाख छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय लिया है।

बैंकों को प्रोत्साहन : • शिक्षा ऋण देने वाले बैंकों में अधिक जमा करेगी सरकार • राज्य के वित्त विभाग ने किया नियमों में बदलाव • स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोत्साहन • अगले वित्त वर्ष में 5 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड • चालू वित्त वर्ष में 19 हजार को मिला है शिक्षा ऋण। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.3.2016)**

कर्ज का नया विकल्प आजमा रहे छोटे उद्यमी

कॉरपोरेट सेक्टर में लंबे समय से चल रही मंदी और बढ़ते खराब कर्ज ने बैंकों को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को कम कर्ज देने के लिए बाध्य कर दिया है। परिणामस्वरूप ये छोटे उद्यम धन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ऑनलाइन पोर्टल एक उद्यमी से दूसरे उद्यमी को कर्ज (पी 2 पीएल) की व्यवस्था कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे किसी एक व्यक्ति को बगैर किसी पूर्व परिचय के दूसरे व्यक्ति को उधार देने में मदद मिल रही है, जिसमें किसी वित्तीय मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती।

आई 2 आईफंडिंग डॉट कॉम के वैभव पांडेय का कहना है, 'हम देख रहे हैं कि एसएमई और एमएसएमई क्षेत्र से मांग बढ़ रही है। खासकर ऐसे उद्यमियों की ओर से, जो इस क्षेत्र में नए हैं और उन्हें बैंकों से कर्ज लेने में दिक्कत हो रही है। नया कारोबार शुरू करने वालों के पास आय या बैंक की ओर से मांगे जाने वाले पर्याप्त दस्तावेज नहीं होती। इसकी वजह से इस क्षेत्र की ओर से मांग बढ़ रही है।'

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 23 जनवरी 2015 से 22 जनवरी 2016 के बीच छोटे उद्योगों को दिया जाने वाला कर्ज 2.4 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि एक साल पहले इसमें 12.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसी अवधि के दौरान मझोले उद्योगों को दिया जाने वाला कर्ज 7.1 प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले 0.7 प्रतिशत बढ़ा था। रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक सूक्ष्म व छोटे उद्योग वे होते हैं, जिनके कर्ज का आकार 5 करोड़ रुपये तक होता है। **(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 21.3.2016)**

प्रदूषण निवारण नियंत्रण शुल्क बढ़ा

नगर निकाय व उद्योगों को 20 प्रतिशत अधिक प्रदूषण निवारण सहमति शुल्क देना होगा. वन पर्यावरण विभाग ने सहमति शूल्क की दर तय कर दी है। विभाग पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त सहमति शुल्क लेगा। सूबे के नगर निगमों को 20 नगर पर्षदों को 10 और नगर पंचायतों को पाँच हजार रुपये प्रदूषण निवारण सहमति शुल्क के रूप में देना होगा।

प्रदूषण निवारण सहमति शुल्क

स्थानीय निकाय	शुल्क
नगर निगम	रु 20000
नगर निकाय	रु 10000
नगर पंचायत	रु 5000
उद्योग	
25 लाख रुपये तक की पूंजीवाले	9 हजार
पाँच करोड़ तक की पूंजीवाले	35 हजार
10 करोड़ तक का पूंजीवाले	60 हजार
50 करोड़ तक की पूंजीवाले	90 हजार
50 करोड़ से अधिक पूंजीवाले	2.25 लाख

(साभार : प्रभात खबर, 10.4.2016)

बैंक में सीसीटीवी का देना होगा प्रमाण-पत्र

बैंकरों की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच खुलेगा

बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं या नहीं, इसका प्रमाणपत्र प्रबंधन को देना होगा। बैकों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है।

19.3.2016 को बैंकरों की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने ये निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि बैंकों और उनकी शाखाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर दिया गया है।

जुलाई के अंत तक खोले जाएंगे नए बैंक : बैठक में डीएम ने निर्देश दिया है कि पाँच हजार की आबादी वाले गांवों में बैंक शाखा खोलना है। यह काम जुलाई के अंत तक हो जाना चाहिए। पटना जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मिलने से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। तय की गई आबादी पर एक शाखा खोलना है। अगर कोई बैंक पूर्ण शाखा नहीं खोल पाते हैं तो ऐसी स्थिति में अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच खोलने का भी निर्देश दिया गया है।

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन : महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। पीडीएस डीलरों को भी मुद्रा योजना से जोड़ने के लिए निर्देश दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों में दिए गए लोन और सब्सिडी की होगी जाँच : प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले वर्ष जितने भी बैंकों ने लोन दिए और संबंधित विधागों ने जो सब्सिडी दी है, उनकी व्यापक जाँच होगी। इसके लिए जाँच दल का गठन किया जाएगा। जांच दल उन सभी बैंकों और विभागों की जाँच करेगा कि जिन उपलब्धियों के बारे में बैठक में बताया गया है वो जमीन पर है या सिर्फ कागज पर। जाँच के दौरान योजनाओं को धरातल पर नहीं पाया गया तो लाभार्थी, महाप्रबंधक और जिला उद्योग केन्द्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री बीमा योजना में ग्रामीण बैंकों ने मारी बाजी : प्रधानमंत्री बीमा योजना में ग्रामीण बैंकों ने बाजी मारी है। मात्र 3 बैंकों ने पूरे बिहार में लगभग 22 लाख लोगों का बीमा किया है। जबकि सरकारी बैंकों में 24 एवं 11 निजी व्यावसायिक बैंकों ने लगभग 40 लाख लोगों को इस योजना में शमिल किया है।

स्थिति यह है कि व्यावसायिक बैंक की तुलना में तीन ग्रामीण बैंकों ने अबतक कुल बीमित व्यक्ति का एक तिहाई लोगों का बीमा कर दिया है। इनमें केवल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। जानकारों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित व्यक्ति की संख्या काफी कम है। दूसरी बात यह भी है कि मात्र 12 रुपये में एक साल के लिए दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिल रहा है।

योजना में आगे : • मात्र 3 ग्रामीण बैंकों ने 22 लाख लोगों का किया बीमा • 10 महीने में कुल 62 लाख लोग योजना में हुए शामिल।

योजना में आने के लिए करना होगा : इन योजनाओं के लिए खाताधारियों को कोई अतिरिक्त कागजात नहीं देने होंगे। केवल एक फॉर्म भरकर संबंधित बैंक शाखा में जाकर जमा कर देना है। ये दोनों योजनाएं पहली जून 2015 से शुरू है। योजना 30 मई तक लागू है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 20.3.2016)**

दो उद्योगों को 18.85 लाख का अनुदान

उद्योग विभाग ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत दो उद्योगों को 18.85 लाख के अनुदान को मंजूरी दी है। उद्योग निदेशालय के सूत्रों के अनुसार पटना सिटी स्थित मेसर्स शार्कभरी एग्रो फूडस इंडस्ट्रीज को तीन लाख 60 हजार का अनुदान दिया गया है। वहाँ मुजफ्फरपुर स्थित सर्वश्री महाराष्ट्रा फीड्स प्राइवेट लिमिटेड को 15 लाख 25 हजार का अनुदान स्वीकृत किया गया है। सूत्रों अनुसार शर्त भी लगाई गई है कि ये इकाइयां न्यूनतम पाँच वर्ष तक कार्यरत रहेंगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.4.2016)**

नए उद्योग लगने की बढ़ी उम्मीद, उद्यमिता में तीसरे स्थान पर पहुँचा बिहार

उद्योगों के मामले में पिछड़े बिहार में नए उद्योग-धंधे लगने की उम्मीद बढ़ी है। क्योंकि, राज्य के नए उद्यमियों ने इस दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। माइक्रो और लघु उद्योगों के लिए सबसे अधिक पंजीकरण कराने वाले राज्यों की सूची में बिहार तीसरे स्थान पर आ चुका है। उद्योग आधार के लिए महाराष्ट्र, गुजरात के बाद सबसे अधिक पंजीकरण बिहार से हुए हैं। प्रदेश में आर्थिक-सामाजिक बदलाव के लिए यह मजबूत दस्तक है। केन्द्र सरकार के इंजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य के लिए उद्योग आधार की योजना सितम्बर, 2015 में शुरू की गई थी। इस नंबर की शुरुआत उद्यमियों को युनिक पहचान देने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि उन्हें बार-बार दफ्तरों व बैंकों में अपनी पहचान बताने से मुक्ति मिले। साथ ही इनके उत्पाद खरीदने में सरकारी संस्थान भी पारदर्शिता से निर्णय ले सकें। इससे उद्यमियों को औसतन 11 फॉर्म भरने से छुटकारा मिल जाता है।

उद्योग आधार के पंजीकरण में महाराष्ट्र गुजरात के बाद बिहार का नंबर

राज्य	कुल आधार	सूक्ष्म	लघु	मंझोले
महाराष्ट्र	47,564	36,026	11,087	451
गुजरात	42,936	32,940	9,567	249
बिहार	38,129	36,753	1,318	58
राजस्थान	29,824	25,395	4,253	176
उत्तर प्रदेश	25,258	21,463	3,694	101
तमिलानाडु	20,075	16,936	3,051	88

स्रोत : सक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार, 4 मार्च 2016

कैसे करें रजिस्ट्रेशन : उद्योग आधार 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। इसके लिए एक पेज का ऑनलाइन व ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। कारोबारी मोबइल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कारोबारियों को एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट www.udyogaadhaar.gov.in पर उद्योग आधार ऑप्शन में जाकर अपना डिटेल दर्ज करना होता है।

निःशुल्क होता है पंजीकरण

"उद्योग आधार में कुछ समझना हो तो विभाग में आएं। पंजीकरण निःशुल्क है। ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो अफसरों से मदद ले सकते हैं।

– आर० पी० वैश्य, निदेशक, एमएसएमई-डीआई, पटना

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.3.2016)

पत्रांक - ह. रे. सूचना कोषांग (विविध)- 01/2016

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पटना, दिनांक -

संकल्प

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ताड़ पेड़ के उत्पादो पर आधारित उद्योगो के विकास हेतु समेकित योजना पर मंत्रीपरिषद की सैद्धांतिक सहमति / स्वीकृति।

बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित ताड़ के पेड़ों से अनेक तरह के प्राप्त उत्पादों से विभिन्न तरह की वस्तुएँ निर्मित की जाती है तथा गुड़, पेय पदार्थ (जिसमें ताड़ी- एक तरह का मादक पेय भी शामिल है), चटाई, झाड़ू, खिलौने, टोकरी इत्यादि। ताड़ के पेड़ों से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से परम्परागत रूप से यहाँ की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपना जीविकोपार्जन करता आ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि महिलाओ का एक बड़ा वर्ग इन उत्पादो से निर्मित होने वाले वस्तुओ से जुड़े पेशे पर अपनी रोजी-रोटी के लिए आश्रित है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई मद्यपान निषेध संबंधी नीति के परिपेक्ष्य में इस पेशे से जुड़े लोगों के जीविका को सुरक्षित रखने तथा रोजगार एवं आय के नये अवसर सृजन एवं संवर्द्धन की दिशा में ठोस पहल किये जाने की आवश्यकता है।

2. राज्य में ताड़ के पेड़ के उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास से इससे जुड़े व्यक्तियों का रोजगार सृजन के साथ-साथ आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जायेगा।

4. (क) इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य अवयव निम्न रूप से होगा:

(i) इससे जुड़े लोगों को प्रखण्डवार व जिलावार, सहकारी/गैर सरकारी समितियों/स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करते हुए इन्हें एक राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था के तहत समावेशित किया जाएगा।

(ii) समूहों/संस्थाओं/समितियों से जुड़े लोगों का अद्यतन आर्थिक स्थिति तथा इनके रोजगार संबंधी जरूरतों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण कराया जायेगा।

(iii) इन संस्थाओं / समूहों / समितियों के माध्यम से प्रखण्ड स्तर पर ताड़ के पेड़ों से प्राप्त होने वाले नीरा को वर्ष में चार माह तक एकत्रित करते हुए किसी एक जिले/ एक से अधिक जिलों के स्तर पर प्रसंस्करण करने की व्यवस्था की जायेगी।

(iv) वर्ष के शेष आठ महीनो में ताड़ के पेड़ के उत्पादो यथा खोया व सूरन से पेड़ा, लड्डू, आइस्क्रीम जैम/ जेली आटा, रवा, दलिया, हलवा आदि तथा पत्ते, जड़, छाल आदि से चटाई, झाड़ू, खिलौने, टोकरी इत्यादि पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(v) उपादों का विपणन बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड / खादी व ग्रामोद्योग आयोग तथा 'सुधा' के माध्यम से किया जायेगा।

(vi) उत्पादों पर आधारित ग्रामोद्योग /लघु उद्योग की इकाईयों को अनुदान तथा उनसे जुड़े संस्थाओ / समितियों / समूहों व शीर्ष संस्था को स्वतंत्र रूप से सक्षम करने हेतु सहायता उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपरोक्त समेकित योजना के संदर्भ में विस्तृत कार्य योजना का निर्धारण निम्नांकित रूप से गठित समिति द्वारा किया जाएगा:

1. विकास आयुक्त – अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग – सदस्य सचिव
3. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग – सदस्य
4. प्रधान सचिव, निबंधन एवं उत्पाद विभाग – सदस्य
5. प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग – सदस्य
6. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य
7. सचिव, पशुपालन एवं मत्सय विभाग – सदस्य
8. प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड – सदस्य

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ह. रे. सूचना कोषांग (विविध)- 01/2016, 1823 पटना, दिनांक - 20/4/2016 प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले. एवं. ह.) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

नई नीति में बुनकरों के लिए होगा काफी कुछ

प्रदेश में हस्तकरघा से जुड़ी वस्तुओं की इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ की कपड़ों की देश ही नहीं, विदेशों में भी मांग है। बिहार सहित अन्य राज्यों में कृषि के बाद अधिकतर लोग हैंडलूम से जुड़े हुए हैं। सरकार हैंडलूम में सहयोग करेगी। हैंडलूम कपड़ों का ब्रांड बने इसके लिए विभाग काम करेगी।

राज्य सरकार बुनकरों को हरसंभव मदद देगी और इसे उद्योग के रूप में विकसित करेगी। नई औद्योगिक नीति में हस्तकरघा बुनकरों के लिए काफी कुछ होगा। इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है। उक्त बातें राज्य के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2015-16 के उद्घाटन मौके पर कहीं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 3.3.2016)

आभूषण खरीद में कैश पेमेंट न करें तो बेहतर

अधिकतर ग्राहक ऐसे होते हैं जो सीधे कैश देकर आभूषण खरीदते हैं। हालांकि इससे परहेज करना चाहिए। नए नियम के तहत यदि कोई ग्राहक दो लाख से अधिक की खरीदारी के बाद उसका पेमेंट कैश देकर करता है तो उन्हें एक प्रतिशत टीसीएस देना होगा।

क्या करें ग्राहक : यदि उपभोक्ता दो लाख से अधिक का आभूषण खरीदता है तो उसका भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर चेक से करें। इस प्रक्रिया से ग्राहकों को टीसीएस चार्ज से राहत मिल जाएगी।

दो नाम से गहना खरीदें : आभूषण की कीमत दो लाख से अधिक है और नगद भुगतान कर रहे हैं तो उसका बिल दो नाम बनवाएं। ऐसे में एक प्रतिशत टीसीएस बच जाएगा।

पैन काड जरूर रखें : दो लाख से अधिक की खरीदारी पर ग्राहक को अपने पैन कार्ड की फोटो कॉपी आभूषण व्यापारियों को देनी होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.4.2016)

आम, लीची या नीरा बेचेगा बिवरेज कॉरपोरेशन

शराबबंदी के बाद बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने उत्पाद विभाग के साथ बैठक की। प्रधान सचिव पाठक व निगम के एमडी मिथिलेश मिश्र को मुख्य सचिव ने फिलहाल निगम के सभी बकायों का निष्पादन करने को कहा।

मुख्य सचिव ने भविष्य में बिवरेज कॉरपोरेशन की ओर से होने वाले कामों का प्रेजेंटेशन देने को कहा। निगम अब शराब के बदले लीची व आम के जूस के अलावा ताड़ के रस नीरा सहित बिवरेज से संबंधित अन्य पदार्थों को बेचने की योजना बनाने में जुट गया है। शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.4.2016)

6 डिस्ट्रीलरीज बनाएंगी 6 करोड़ लीटर एथनॉल

अच्छी खबर **राज्य में पहले छोआ से बनाई जाती थी शराब, अब डिस्ट्रीलरीज कंपनियां बनाएंगी एथनॉल**

बिहार को एथनॉल हब बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना, शराबबंदी के बाद पूरा होने वाला है। राज्य के डिस्ट्रीलरीज अब अपनी पूरी क्षमता के साथ एथनॉल का उत्पादन करेंगे। हालांकि, 11 ग्रेन बेस्ड डिस्ट्रीलरीज को एथनॉल बनाने की छूट अभी तक नहीं दी गई, जबकि छोआ (मोलासेस) से स्प्रिट बनाने वाली सभी 6 डिस्ट्रीलरीज करीब 6 करोड़ लीटर एथनॉल बनाने की तैयारी में हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम इन डिस्ट्रीलरीज से एथनॉल खरीदेगी। लौरिया और सुगौली हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के लिए पहले से ही एथनॉल बना रहा है।

शराबबंदी का सर्वाधिक असर राज्य के डिस्ट्रीलरीज पड़ा। प्रदेश की डिस्ट्रीलरीज बंद पड़ी हैं। लेकिन, सरकार ने इन डिस्ट्रीलरीज को एथनॉल बनाने की छूट दी है। छोआ से शराब बनाने वाली 6 डिस्ट्रीलरीज ने अपनी पूरी क्षमता के साथ एथनॉल बनाने की तैयारी तेज कर दी है। उत्पाद विभाग ने भी उन्हें एथनॉल बनाने का आदेश दे दिया है।

अभी कहाँ-कहाँ बनेगा : राज्य की जिन 6 डिस्ट्रीलरीज में एथनॉल का उत्पादन किया जाएगा, उनमें हरिनगर, नरकटियागंज, लौरिया, सुगौली, पश्चिमी चंपारण और रीगा (सीतामढ़ी) शामिल हैं। ये सभी डिस्ट्रीलरीज चीनी मिल के ही हैं। केवल गोपालगंज के सोना सती डिस्ट्रीलरीज चीनी मिल की नहीं है।

चीनी मिल को भी फायदा : बिहार में शराबबंदी के बाद चीनी मिल के सामने छोआ को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन, डिस्ट्रीलरीज में एथनॉल के उत्पादन की अनुमित के बाद चीनी मिलों को भी काफी फायदा होगा।

क्या है एथनॉल बेडिंग का नियम : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2015 में पेट्रोलियम कंपनियों को अनिवार्य रूप से पेट्रोल में 10 फीसदी एथनॉल मिलने का आदेश दिया है। पहले यह सीमा 5 फीसदी थी। लेकिन, इससे बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी गई है। अगर सरल भाषा में कहें तो एक लीटर पेट्रोल, जो हम आप खरीदते हैं, उसमें 100 मिली लीटर एथनॉल होता है। बिहार में तेल कंपनियां अभी दूसरे राज्यों से एथनॉल मंगवाती हैं।

क्या होगा फायदा : पेटोल से होने वाले प्रदूषण की तुलना में एथनॉल से कम प्रदूषण होता है। इतना ही नहीं इसका उपयोग बढ़ने से पेट्रोल का आयात कम होगा और देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

तेल कंपनियों के सामने समस्या : अभी राज्य में तेल कंपनियों के पास एथनॉल भंडारण और पेट्रोल में मिक्सिंग की क्षमता कम है। लेकिन, तेल कंपनियों ने भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 11.4.2016)**

13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बेहतर विकास दर की उम्मीद

अच्छे मानसून की संभावना ने बिहार के बेहतर विकास दर की उम्मीद जगा दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छी बारिश के कारण इस साल खरीफ फसल की करीब 18 प्रतिशत अधिक बुआई होगी। नतीजे में कृषि प्रक्षेत्र को मिलने वाला उछाल अगले वित्तीय वर्ष से आरंभ हो रही 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए बिहार की मजबूत आर्थिक स्थिति की बुनियाद डाल देगा। कृषि प्रधान बिहार ने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कम बारिश के बावजूद 6.02 प्रतिशत का औसत ग्रोथ रेट दर्ज किया है।

2012 से आरंभ हुई 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार साल में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि प्रक्षेत्र ने मात्र 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि उम्मीद 4 प्रतिशत वृद्धि की थी। परन्तु बिहार में यह दर 5-6 प्रतिशत की रही, जबकि 2014-15 में 12 प्रतिशत और 2015-16 में 14 प्रतिशत कम बारिश हुई। अगले वर्ष से बिहार के बेहतर विकास दर हासिल कर लेने के अनुमान के पीछे केवल कृषि ही नहीं, अन्य प्रक्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना को भी आधार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ हो रही है जिसके कारण बैंकिंग की गतिविधियां बढ़ेंगी। राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, पिछले दस सालों में बैंकिंग एवं बीमा प्रक्षेत्र ने सूबे में 17.70 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है। हर घर तक पक्की सड़क एवं पक्की नाली के निर्माण की भी योजना आरंभ हो रही है, जो निर्माण प्रक्षेत्र को निश्चित रूप से 16.58 प्रतिशत के औसत से और बढ़ाएगी। ये योजनाएँ पाँच सालों के लिए चलेंगी जिसके कारण 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बिहार की विकास दर न सिर्फ तेज बल्कि टिकाऊ रहने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत चुनाव के बाद गाँवों के विकास की योजनाएं भी 13वीं पंचवर्षीय योजना की राशि से ही रफ्तार पकड़ेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 19.4.2016)**

केन्द्र के फैसले से कुछ राज्यों को ही लाभ!

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों को बाजार से अतिरिक्त उधारी के लिए ढील प्रदान की है, भले ही इससे उनका राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा के ऊपर 0.5 फीसदी अंक बढ़ जाएगा। लेकिन इस दायरे में ज्यादातर राज्य नहीं आ सकेंगे क्योंकि इस छूट की राह में 14वें वित्त आयोग की कुछ शर्तें आड़े आ रही हैं।

केयर रेटिंग्स के अध्ययन के मुताबिक 18 राज्यों में से 9 राज्य इस योजना का लाभ चालू वित्त वर्ष में नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि 2015-16 में उन्होंने राजस्व घाटा दिखाया है या 2016-17 के लिए राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है।

एफएफसी के मुताबिक अतिरिक्त सीमा के इस लचीलेपन का फायदा ऐसे राज्यों के लिए ही उपलब्ध होगा, जिन्होंने ने इस साल राजस्व घाटा नहीं दिखाया है। इन मानकों पर खरा साबित न होने वालों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे औधोगिक राज्य और बिहार जैसे कम संपन्न राज्य दोनों ही शामिल हैं। गोवा,

राज्यों का घटता राजस्व

राज्य	राजस्व संतुलन 2015-16 (पुनरीक्षित अनुमान करोड़ रुपये में)	राजस्व संतुलन 2016-17 (बजट अनुमान करोड़ रुपये में)
गोवा	(-) 137	159
बिहार	(-) 1,484	14,649
पश्चिम बंगाल	(-) 3,869	0
आंध्र प्रदेश	(-) 4,140	(-) 4,868
राजस्थान	(-) 5,232	(-) 8,802
पंजाब	(-) 7,561	(-) 7,983
महाराष्ट्र	(-) 9,290	(-) 3,645
हरियाणा	(-) 10,693	(-) 12,280
केरल	(-) 9,897	(-) 10,814

नोट (-) का अर्थ घाटा स्रोत- केयर रेटिंग्स

पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और केरल भी अपना राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे।

इसके अलावा इस योजना में दो और शर्तें लगाई गई हैं। इनमें से एक में कहा गया है कि राज्य का कर्ज और जीडीपी का अनुपात पूर्ववर्ती साल की तुलना में 25 प्रतिशत के दायरे में होना चाहिए। इसके अलावा राज्य की कुल सालाना राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन दो मानकों में से खरा उतरने पर राज्य अपना राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत के ऊपर 0.25 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 28 राज्यों में से आधे राज्यों का कर्ज एसजीडीपी अनुपात 25 प्रतिशत से कम है, जबकि आधे राज्यों का 25 प्रतिशत से ज्यादा है। राज्यों की रिपोर्ट में तेलंगाना को शामिल नहीं किया गया है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.4.2016)**

मॉडल डीड पर ही अब होगा निबंधन

निबंधन विभाग के प्रधान सचिव के. के. पाठक ने सभी जिलाधिकारी और निबंधकों को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाले दस्तावेज नवीसों का लाइसेंस रद करने का निर्देश दिया है। साथ ही मॉडल डीड पर ही निबंधन कराने का निर्देश दिया है। निबंधन विभाग की वेबसाइट पर मॉडल डीड उपलब्ध है।

प्रधान सचिव के अनुसार डीड राइटिंग की निर्भरता समाप्त की जाएगी। मॉडल डीड में कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यक शर्तें डाल सकता है। मॉडल डीड पर ही निबंधन कराने का निर्देश दिया है।

मे आई हेल्प यू काउंटर : प्रधान सचिव ने आमजन को निबंधन कराने के लिए दस्तावेज के बारे में जानकारी देने के लिए सभी निबंधन कार्यालयों में 'मे आई हेल्प यू' काडंटर खोलने का निर्देश दिया है।

प्रधान सचिव के निर्देश पर पटना जिला निबंधन कार्यालय के गेट पर सूचना चस्पा दिया गया है कि मॉडल फार्म पर दस्तावेज निबंधन का काम करवा सकते हैं। इसमें पदाधिकारी और कर्मचारी सहयोग करेंगे। विरोध करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 2.4.2016)**

डीसीएलआर भी करेंगे बंदोबस्ती

राज्य सरकार ने सैरात बंदोबस्ती की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। नई व्यवस्था में भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) को भी बंदोबस्ती का अधिकार दिया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। साथ ही मंत्रिपरिषद ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर पटना हाईकोर्ट के जज हेमंत गुप्ता को मनोनीत करने की स्वीकृति भी दी है।

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि अब भूमि सुधार उप समाहर्ता भी सैरातों की बंदोबस्ती कर सकेंगे। इस व्यवस्था के लिए सरकार ने सैरात बंदोबस्ती की शक्तियों का पुनर्निधारण कर दिया है। अंचलाधिकारी पाँच हजार रुपये तक के सैरातों की बंदोबस्ती कर सकेंगे, जबकि डीसीएलआर को दस से बीस हजार, एसडीओ को बीस से पचास हजार, डीएम को पचास हजार से दो लाख, कमिश्नर को दो से पाँच लाख तथा पाँच लाख से ऊपर के सैरातों की बंदोबस्ती राज्य सरकार की सहमति से की जा सकेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 13.4.2016)

नौ महीने बाद भी बिहार को नहीं मिली पैकेज की राशि!

पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। राज्य के वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है।

इस पैकेज में राज्य को किसी तरह की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है। पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है। नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है। राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केन्द्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था। वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केन्द्र की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का विस्तार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं।

केन्द्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले। वहीं, केन्द्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे। जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं। इन दोनों के अलावा केन्द्र से किसी तरह की कोई अतिरिक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं। चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केन्द्र से नहीं आयी है। न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है।

85 फीसदी रुपये केन्द्र को ही करना था खर्च : केन्द्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है। उसमें 85 फीसदी रुपये सीधे केन्द्र सरकार या केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था। इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

1.25 लाख करोड़ रुपये देने की पीएम ने की थी घोषणा

पैकेज में शमिल कुछ प्रमुख घोषणाएँ : • 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में 2 हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है • बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है • किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है • शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरिक्ति सहायता है • पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है • 2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा।

इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा

हाइवे	54,713	कौशल विकास	1,550
पेट्रोलियम और गैस	21,476	शिक्षा	1,000
बिजली	16,130	स्वास्थ्य	600
ग्रामीण सड़क	13,820	पर्यटन	600
रेलवे	8,870	डिजिटल बिहार	440
एयरपोर्ट	2,700	(सभी आंकड़े करोड़ में)	
किसानों के लिए	3,094		

(साभार : प्रभात खबर, 19.4.2016)

बाढ़ प्रोजेक्ट से दूर हो जाएगी बिजली की तंगी

पहल : दूसान ने शुरू किया 1980 मेगावाट की तीन यूनिटों पर काम

बिहार में एनटीपीसी की महत्वाकांक्षी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से बिहार की बिजली तंगी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। स्टेज-। की तीनों यूनिटों पर कोरियाई कंपनी दूसान ने काम प्रारंभ कर दिया है। मार्च 2018 तक इससे बिजली मिलने लगेगी। स्टेज-2 की दो यूनिटों से अभी उत्पादन हो रहा है। दोनों प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 3330 मेगावाट है। स्टेज-2 की दोनों यूनिटों में बिहार का हिस्सा

65 फीसद है। रूसी कंपनी टेक्नोप्रोम एक्सपोर्ट से करार रद्द कर दक्षिण कोरिया की कंपनी दूसान को स्टेज-1 की तीनों यूनिटों का काम यथास्थिति के आधार पर दिया गया है। पहली अप्रैल से कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। कंपनी ने तीनों यूनिटों से मार्च 18 तक बिजली उत्पादन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। पहली से मार्च 2017, दूसरी से सितम्बर 2017 एवं तीसरी यूनिट से मार्च 2018 में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सब कुछ ठीक-ठाक चला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों के मुताबिक 2018 तक, बिहार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अपनी जरूरत भर बिजली बिहार से ही मिलने लगेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 6 मार्च 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। स्टेज-1 की तीनों यूनिटों के लिए रुसी कंपनी टेक्नोप्रोम एक्सपोर्ट से करार किया गया था। 2009 तक इसे पूरा कर लेना था, लेकिन 16 वर्षों बाद भी सारी यूनिटें लटकी रही। उस वक्त इसे बिहार के लिए उपलब्धि बताई गई थी। माना जा रहा था कि प्लांट लगने के बाद क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। पहली यूनिट में करीब 75 फीसद काम हो पाया था। शेष दो यूनिटों में तो आधा काम भी नहीं हो सका था।

नया लक्ष्य	प्लांट	क्षमता	पूरा होगा	ठेके की लागत : 2000 करोड़
	यूनिट-1	660 मेगावाट	मार्च 17	
	यूनिट-2	660 मेगावाट	सितम्बर 17	
	यूनिट-3	660 मेगावाट	मार्च 18	

"बिहार में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। बाढ़ प्रोर्जक्ट के स्टेज-1 की तीनों यूनिटों के सक्रिय हो जाने के बाद बिहार को काफी राहत मिल सकती है।" **–बिजेन्द्र प्रसाद यादव,** ऊर्जा मंत्री, बिहार सरकार

(साभार : दैनिक जागरण, 9.4.2016)

बिजली सुधार का पड़ सकता है राज्यों के बजट पर असर

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में बिजली सुधार का असर राज्यों के बजट पर पड़ सकता है। इसकी वजह से आर्थिक विकास के लिए जरूरी बजटीय समर्थन के खर्च में उन्हें कटौती करनी पड़ सकती है।

इसकी वजह से राज्यों को वित्तीय समेकन के मार्ग से हटना पड़ सकता है, क्योंकि वे कर्ज से लदी राज्य इकाइयों के ब्याज का अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर लेंगे। सरकार ने नवम्बर में एक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य सरकार कार्यक्रम में शामिल होकर 4.3 लाख करोड़ रुपये कर्ज का 75 प्रतिशत को कर्ज व इक्विटी में बदल सकेंगी, जिसकी देनदारी उनकी बिजली इकाइयों की है।

राज्यों के वित्त पर जारी अपनी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऐसी प्रक्रिया से' राज्यों के लिए वित्तीय क्षेत्र में जगह घटेगी और उन्हें पूंजीगत व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है। ऐसा होने पर वृद्धि पर विपरीत असर पड़ेगा।'

बहरहाल अब तक 29 राज्यों में से 15 राज्य सरकारें उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल हुई हैं।

रिजर्व बैंक ने अनुरोध किया है कि वे 'अनुत्पादक' खर्चों में कटौती करें और गैर कर राजस्व को बढ़ावा दें, जिससे वित्तीय समेकन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.4.2016)**

बिजली दरों का नए सिरे से होगा निर्धारण

बंगाल व यूपी के टैरिफ का किया जाएगा अध्ययन

बिहार में उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली बिजली दरों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ का अध्ययन कर बिहार में इसी परिप्रेक्ष्य में खाका तैयार करने का आदेश दिया। बाद में इसी आधार पर एक समेकित नीति निर्धारित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों को अपने कार्यों की दक्षता बढ़ाने और ग्रामीण विद्युतीकरण को गुणवत्ता के साथ चरणबद्ध तरीके से समय सीमा के अंदर पूरा करने का आदेश दिया। सात निश्चय के तहत मुख्यमंत्री विद्युत संबंधी निश्चय योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसके लाभार्थियों के चयन के सर्वेक्षण में किसी भी तरह की गलती नहीं होने की हिदायत दी। बैठक में ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत, ऊर्जा सलाहकार पीके राय, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार और मनीष कुमार वर्मा मौजूद थे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.4.2016)

गाँवों में बिजली पहुँचाने में बिहार अव्वल

अँधेरे गाँवों को रोशन करने में बिहार देश में अव्वल है। पहले राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण और अब दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के तहत चल रह ग्रामीण विद्यृतीकरण योजना में बिहार ने 19 राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया।

31 मार्च 2015 तक बिहार के 2747 गाँवों में बिजली नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार को 1632 गाँवों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य दिया गया। सही तरीके से की गई निगरानी, एजेंसियों पर दबाव और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण लक्ष्य से अधिक गाँवों में बिजली पहुँची। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बिहार ने 1754 गाँवों तक बिजली पहुँचाई। यह लक्ष्य से 122 गाँव अधिक है।

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस संबंध में रिपार्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बाद दो-तीन राज्य ही ऐसे रहे जो लक्ष्य से कुछ अधिक गाँवों तक बिजली पहुँचाने में कामयाब हो सके हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा जैसे राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण काफी धीमा होने से केन्द्र ने फटकार लगाई है।

माह-दर-माह लक्ष्य तय : पिछले वर्ष की सफलता की देखते हुए बिजली कंपनी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 993 गाँवों में बिजली पहुँचाने के लिए महीने के अनुसार लक्ष्य तय कर लिया है। अप्रैल में 62, मई में 74, जून में 110, जुलाई में 258, अगस्त में 248 और सितम्बर में 241 गाँव यानी कुल 993 गाँवों में बिजली पहुँच जाएगी। कोशिश है कि दिसम्बर के बजाए सितम्बर में ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए। कंपनी को उम्मीद है कि सितम्बर तक राज्य के सभी 39 हजार 73 गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बिजली पहुँचा दी जाएगी। राजस्व गाँवों के बाद 100 से अधिक आबादी वाले टोलों में बिजली पहुँचाई जा रही है, जिसका काम 2017 में पूरा होगा।

विभिन्न राज्यों में अविद्युतीकृत गाँव

राज्य	मार्च 15	मार्च 16	पहुँचनी बाकी
बिहार	2747	1754	933
ओडिशा	3474	1264	2210
उत्तर प्रदेश	1529	1305	224
असम	2892	942	1950
झारखंड	2525	750	1775
छत्तीसगढ़	1080	405	675
मध्यप्रदेश	472	214	258
सभी राज्य	**18452**	**7108**	**11344**

"गाँवों में बिजली पहुँचाने का काम जोरों पर है। समय से पहले काम पूरा होगा। अँधेरे में रह रहे लोगों को समय से पहले ही बिजली मिलने लगेगी।"

–बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री, बिहार सरकार

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.4.2016)

पनबिजली परियोजनाओं को जल्द मिलेगी गति

वितरण के क्षेत्र में सुधार की रूपरेखा तय करने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अब सुस्त पड़े पनबिजली क्षेत्र को बचाने की योजना बना रही है। इसके लिए 3 आयामों वाला दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। पहले कदम के तहत छोटी पनबिजली परियोजना के तहत 100 मेगावॉट क्षमता तक की परियोजना को इसके दायरे में लाया जाएगा, जो इस समय 25 मेगावॉट है। इससे राज्यों के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और सरकार की सब्सिडी और कर लाभ के दायरे में बड़ी संख्या में परियोजनाएँ आ सकेंगी।

पनबिजली परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता पिछले 3 साल से 40,000

मेगावॉट बनी हुई है। इसी अवधि के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र 20 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले दशक में अक्षय ऊर्जा (सौर एवं पवन ऊर्जा) उत्पाद में 89 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि पनबिजली उत्पादन महज 28 प्रतिशत बढ़ा है।

भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 2,80,000 मेगावॉट

अवधि	पनबिजली	शेष
वित्त वर्ष 2005 के आखिर तक	30942.20	3811.01
वित्त वर्ष 2012 के आखिर तक	38990.40	24503.45
वित्त वर्ष 2013 के आखिर तक	39623.40	27541.71
वित्त वर्ष 2014 के आखिर तक	40531.40	31692.14
वित्त वर्ष 2015 के आखिर तक	41267.40	35776.96
जुलाई 2015 तक	41997.40	36470.64
फरवरी 2016 तक	42703.40	38821.51

शेष - सौर, पवन, बायो, छोटी पनबिजली सोत- एमएनआरई, (सभी आंकड़े मेगावॉट में)

• 100 मेगावॉट क्षमता तक के संयंत्र आएंगे छोटी पनबिजली परियोजना के दायरे में, अभी 25 मेगावॉट क्षमता तक की परियोजनाएँ थीं शामिल • इससे करीब 10,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन कर रहे संयंत्रों को मिल सकेगा लाभ • पनबिजली के लिए केन्द्रीय खरीद पर केन्द्र कर सकता है विचार • पूर्वोत्तर भारत में अभी भी पनबिजली क्षेत्र के लिए बिजली पारेषण बड़ी चुनौती • पनबिजली परियोजनाओं के अक्षय ऊर्जा की परिभाषा में आ जाने से अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता आसानी से पूरा कर सकेंगे राज्य • ज्यादातर राज्य पन- बिजली की खरीद संतुलन बनाने के लिए करते हैं, वे इसे आरपीओ के तहत दिखा सकेंगे।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.4.2016)

सरकारी सेवाओं पर सर्विस टैक्स नहीं

नई दिल्ली : नियमों में बदलाव करते हुए सरकारी सेवाओं पर लगने वाले सर्विस टैक्स से सरकार ने आम आदमी को बाहर रखने का फैसला किया है। किंतु कारोबारी संस्थाओं को सरकार से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं पर सेवा कर का नियम लागू रहेगा। अब आम आदमी को पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पर सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी करके स्पष्ट किया है कि वो सभी सेवाएँ जिन्हें सरकारी विभाग या स्थानीय प्रशासन की तरफ से जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उन पर लगने वाले शुल्क में सेवा कर शामिल नहीं किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन व सरकार की तरफ से दी जाने वाली उन सेवाओं पर भी सेवा कर मान्य नहीं होगा, जिनमें फीस की रकम 5,000 रुपए से कम होगी। जिन सेवाओं पर आम जनता को राहत दी गई है उनमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण भी शामिल है। जहाँ तक कारोबारी वर्ग को मिलने वाली सेवाओं का सवाल है, उन पर सर्विस टैक्स का नियम लागू रहेगा। (साभार : Inext, 18.4.2016)

नियमित 10 साल की नौकरी न होने पर भी मिलेगी पेंशन!

लगातार 10 साल की नौकरी नहीं करने पर भी श्रमिक पेंशन के हकदार हो सकते हैं। सरकार इसपर काम कर रही है कि अगर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता का अंशदान 58 साल से पहले श्रमिक को नहीं दिया जाए तो क्यों न उसे अन्य विकल्प उपलब्ध कराए जाए। बिना कोई लाभ दिए नियोक्ता वाला अंशदान रोकने वाले कदम से सरकार की काफी आलोचना हो रही है। इस वजह से वह श्रमिकों को फायदा पहुँचाने वाले विकल्पों पर विचार करने के लिए विवश हुई है। (विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 8.4.2016)

न्यूनतम मजदूरी अब 206 रुपये

राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के लिए न्युनतम मजदूरी का नया दर जारी किया है। श्रम संसाधन विकास विभाग ने 69 अलग-अलग नियोजन के क्षेत्रों में कार्य करने वाले कुशल, अकुशल और अतिकुशल मजदूरों के लिए मजदूरी का ऐलान किया है। इसके तहत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता के साथ न्यूनतम मजदूरी की दर 1 अप्रैल से लागू किया गया है। सरकार की व्यवस्था के मुताबिक घर में काम करने वाले मजदूरों के लिए बरतन धोने और कपड़ा धोने, पोछा लगाना और बच्चों की देखभाल करने के लिए आठ घंटे की ड्यूटी के बाद 206 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। इसे अकुशल मजदूरों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि कुशल मजदूरों की श्रेणी में आने वाले मजदूरों की मजदूरी 262 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। इसके अलावा लिपिकीय व पर्यवेक्षीय श्रेणी के लिए पारिश्रमिक 248 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। सरकार द्वारा जारी सूचना के मुताबिक सहकारी सेक्टर के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अलग-अलग दर तय की गई है। इसमें सफाई कार्य में लगे मजदूरों से लेकर 69 कार्य को चिन्हित किया गया है।

(साभार : आज, 8.4.2016)

न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची –II

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दि0 01.04.2012 + 01.10.2012+ 01.04.2013+01.10.2013+01.04.2014+ 01.10.2014+01.04.2015+01.10.2015 से लागू परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी होगी	01.04.2016 से प्रस्तावित कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	144.00+7.00+6.00+11.00+8.00+8.00+ 2.00+8.00+3.00=197.00	9.00	206.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	150.00+8.00+6.00+11.00+9.00+8.00+ 2.00+9.00+ 3.00=206.00	9.00	215.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	183.00+9.00+8.00+14.00+11.00+9.00+ 2.00+11.00+4.00= 251.00	11.00	262.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	223.00+11.00+9.00+17.00+13.00+12.00+ 3.00+13.00+ 5.00 = 306.00	13.00	319.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	4134.00+207.00+174.00+316.00+242.00 + 219.00+41.00+248.00+83.00 = 5664.00	248.00	5912.00 प्रतिमाह

(बिहार गजट संख्या 277 दिनांक 5 अप्रैल 2016 की अधिसूचना से उद्धृत)

अस्थायी कर्मचारी भी ईएसआई के हकदार

सुप्रीम कोई ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारी भी ईएसआई के तहत कर्मचारी हैं। उनके हिस्से का ईएसआई फंड नियोक्ता को कटवाना होगा।

यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोई ने रेस कोर्स क्लब में रेस के दोरान ट्रैक की देखभाल करने और टिकटों की बिक्री करने वाले कर्मचारियों के हिस्से का ई एस आई फंड काटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह राशि पिछले तीन माह से काटी जाए। साथ ही रायल वेस्टर्न टर्फ लिमिटेड पर मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लाने पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने एक फैसले में यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि कर्मचारी शब्द बहुत विस्तृत है।

वह व्यक्ति जो किसी फैक्टरी या संस्थान में मजदूरी के लिए कोई काम कर रहा है या काम से संबंधित कार्य कर रहा है, तो वह इसकी परिभाषा के दायरे में आएगा। पीठ ने कहा कि ईएसआई एक्ट 1948 कल्याणकारी कानून है। इस कानून की व्याख्या इस तरह से करने की जरूरत है, जिससे इसके फायदे कर्मचारियों तक विस्तारित किए जा सकें। (साभार : हिन्दुस्तान, 2.3.2016)

प्रदेश में बीड़ी मजदूरों को मिलेंगे आशियाने

प्रदेश में बीड़ी मजदूरों को आशियाने जल्द मिलेंगे। राज्य सरकार ने बीड़ी मजदूरों के लिए लागू आवास ऋण योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक इस साल प्रदेश के बीड़ी मजदूरों को नए घर बनाने के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने पटना (फुलवारीशरीफ), नालंदा, नवादा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, कटिहार और किशनगंज जिले में बीड़ी मजदूरों को आवास निर्माण योजना को लागू करने की प्राथमिकता दी है और बीड़ी मजदूरों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। चयनित मजदूरों को 45-45 हजार रुपये का ऋण देने का प्रावधान है। इसमें केन्द्र सरकार को ओर से प्रत्येक लाभुक को दो किस्तों में 20-20 हजार रुपये दिए जाते हैं, जबकि शेष पाँच हजार रुपये में चार हजार रुपये राज्य सरकार मुहैया कराती है।

केन्द्र के पास 3.21 करोड़ बकाया : बीड़ी मजदूरों के लिए लागू केन्द्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना में 3.21 करोड़ रुपये बकाया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.4.2016)

श्रम विभाग के निबंधन व लाइसेंस ऑनलाइन

श्रम अधिनियमों के तहत होने वाले निबंधन और लाइसेंस के लिए अब कारोबारी, उद्यमी और श्रमिकों को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विभाग ने निबंधन और लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर

दिया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिन के अंदर संबंधित निबंधन अथवा लाइसेंस आवेदक को मिल जाएगा। श्रम सचिव दीपक कुमार सिंह ने संबंधित पदाधिकारियों को तय समय सीमा में निबंधन और लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत श्रम संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दुकान-प्रतिष्ठान अधिनियम, ठेका मजदूर अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, बीड़ी सिगार कामगार अधिनियम आदि के तहत निबंधन और लाइसेंस देने का काम होता है। इसके लिए लोगों को कार्यालयों में जाकर आवेदन करने के साथ ही चालान और पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता था। इसमें आवेदक को अधिक भागदौड़ करनी पड़ती थी।

श्रम सचिव दीपक कुमार सिंह और स्टेट बैंक के महाप्रबंधक अभिजीत दत्ता ने एक करार पर हस्ताक्षर किया है। करार पर हस्ताक्षर के मौके पर श्रमायुक्त बिहार मो. सलीम, सहायक श्रमायुक्त गोविंद, सहायक महाप्रबंधक एसबीआई प्रभात रवि आदि उपस्थित थे।

यहाँ करें आवेदन : नई व्यवस्था में आवेदक www.bihar.gov.in/sevices_lrd पर आवेदन करने के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के पेमेट गेटवे के माध्यम से आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।

"निबंधन और लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन करने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। जिस भी कर्मचारी या पदाधिकारी के स्तर से कोई गड़बड़ी की जाएगी वह पकड़ में आ आएगा। "

– दीपक कुमार सिंह, सचिव, श्रम संसाधन विभाग

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.3.2016)

दवा दुकान के लाइसेंस के लिए देने होंगे 30 हजार

राज्य में दवा दुकान खोलनी अब महंगी होनेवाली है। पहले तीन हजार रुपये शुल्क देकर दवा दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन, अब लाइसेंस फीस में 10 गुना वृद्धि करने की तैयारी चल रही है। एक अप्रैल से दवा दुकान के लाइसेंस के लिए तीस हजार रुपये देने होंगे। केन्द्र सरकार ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। बड़ी बात यह कि दवा दुकानों का लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए होगा। इसके नवीनीकरण के लिए भी शुल्क तीन हजार से तीस हजार रुपये देने होंगे। हर पाँच साल बाद दवा दुकानों का रिन्युअल कराना आवश्यक होगा। दवा दुकानों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रभाव राज्य के करीब 40 हजार दवा दुकानों पर पड़ेगा। इससे दवा उद्योग में नये रोजगार के अवसर कम होंगे, तो दूसरी ओर सुदूर ग्रामीण इलाकों में बिना लाइसेंस की दुकानों की संख्या बढेगी। इससे दवा के वैध कारोबार पर असर पड़ेगा।

किसी भी दवा को बेचने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसके अलावा दवा दुकानों के लाइसेंस की आवश्यकता दुकान का स्वामित्व बदलने पर या मकान या उसका स्थान बदलने के बाद लेना आवश्यक है। कई परिस्थितियों में किसी पिता के पुत्रों के बीच दुकान का बंटवारा होता है और उसका स्वामित्व किसी और को मिलता है ऐसी परिस्थिति में लाइसेंस लेना है। इसके अलावा कोई दुकानदार किराये के मकान में दुकान चला रहे हैं और उसका मकान मालिक दुकान खाली करा देता है या वहाँ पर नया निर्माण होता या कहीं दुकान और ले जाकर शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए दुकान का नया लाइसेंस लेना आवश्यक है।

दवा दुकान लाइसेंस : बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (बीसीडीए) के अध्यक्ष व नेशनल कमेटी की कार्यसमिति के सदस्य परसन सिंह ने बताया कि यह केन्द्र सरकार का काला कानून है। सरकार दवा व्यवसाय को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। बिहार जैसे राज्य जहाँ गरीबी के कारण मरीजों की संख्या अधिक है, वहाँ इस कानून का सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। बीसीडीए ने इस कानून पर अपनी कड़ी आपत्ति केन्द्र सरकार को जता दी है।

(साभार : प्रभात खबर, 7.3.2016)

81 और घाटों से खनन की मंजूरी

करीब डेढ़ महीने तक बालू संकट से जूझने के बाद राज्य भर में अब स्थिति सामान्य होने लगी है। राज्य के और 81 बालू घाटों से उत्खनन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें 76 घाटों से बालू का उठाव शुरू कर दिया जाएगा, जबकि पाँच घाटों से बालू उठाव का काम अगले तीन-चार दिनों में शुरू होगा। इससे पहले राज्य में 44 बालू घाटों से उठाव की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

खान एवं भूतत्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य के जिन आठ जिलों के 81 बालू घाटों से बालू के उत्खनन की अनुमति दी गई है वे सभी घाट 25 एकड़ से कम रकबा वाले हैं। ऐसे में इन घाटों से बालू के उत्खनन के लिए पर्यावरण सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र केन्द्रीय इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस अथॉरिटी से लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन 76 बालू घाटों से बालू का उत्खनन कल से शुरू होने वाला है, उन संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को विभाग के आदेश से अवगत करा दिया गया है। जिन 81 घाटों से बालू का उठाव किया जाएगा, उन सभी घाटों की बंदोबस्ती वर्ष 2015 में की जा चुकी है और बंदोबस्तधारियों को अगले पाँच वर्षों के लिए यानी वर्ष 2019 तक बालू उत्खनन का लाइसेंस जारी किया गया है। कुल 81 में से पाँच घाटों से फिलहाल बालू के उत्खनन की अनुमति विभाग से जारी करने के बाद भी अगले तीन-चार दिनों तक बालू का उठाव नहीं हो सकेगा। उन्हें अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है।

सभी 81 बालू घाटों का रकबा 25 एकड़ से है कम : • 81 में 76 घाटों से शुरू हो जाएगा बालू का उठाव : खान मंत्री • बाकी के पाँच अन्य घाटों से अगले तीन-चार दिनों में शुरू हो जाएगा उठाव।

उत्खनन के लिए घाटों की संख्या

जिला	घाट	जिला	घाट
बांका	17	पटना	22
नालंदा	05	भोजपुर	07
कैमूर	10	रोहतास	06
गया	05	अरवल	09

लक्ष्य के विरुद्ध 93 फीसद राजस्व की वसूली : वित्तीय वर्ष 2015-16 में उनके विभाग को राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य के विरुद्ध 93 प्रतिशत राजस्व हासिल कर लिया गया है। मंत्री ने कहा कि यदि जनवरी महीने में बालू के उत्खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक नहीं लगी होती तो हम लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.4.2016)

अपने भवन में उपभोक्ता फोरम

उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायत का निबटारा अब उपभोक्ता फोरम के अपने भवन में होगा। इसके लिए उपभोक्ता फोरम का नया भवन बनेगा। जहाँ उपभोक्ताओं के शिकायत के मामले का फैसला हो पायेगा। 14 जिले में तीन करोड़ 76 लाख से उपभोक्ता फोरम का नया भवन बनेगा। नये भवन बनाने की सारी प्रक्रिया दो माह में मई तक पूरी कर ली जायेगी। उपभोक्ता फोरम का अपना भवन नहीं होने से एक ओर जहाँ काम-काज के निष्पादन में परेशानी होती है, वहीं लोगों को कार्यालय के बार में पता नहीं चल पाता है। यहाँ तक कि उपभोक्ताओं की समस्या के निबटारे के लिए जिस कमरे में सुनवाई होती है वहाँ काफी कठिनाई होती है। इसलिए उपभोक्ताओं के हित का ख्याल रखते हुए सरकार ने जिले में उपभोक्ता फोरम का अलग भवन बनने का निर्णय लिया है। जहाँ काम-काज के निबटारे में परेशानी नहीं हो। उपभोक्ता फोरम का अपना भवन होने से लोग उसे जान पायेंगे। किसी समस्या को लेकर वहाँ पहुँच कर वे अवगत करा सकते हैं।

राज्य के 14 जिले में उपभोक्ता फोरम का नया भवन बनेगा। खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा भवन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा नया भवन बनाने की सारी प्रक्रिया पूरी की जायेगी। भभुआ, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगाड़िया, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, सारण व अररिया में नया भवन बनेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 8.4.2016)

अब बड़े आकार में पैकेट पर ही कीमत व मात्रा

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने पैकेट बंद खाद्य उत्पाद विनिर्माता कंपनियों के लिए नियम बदल दिये हैं। इसके तहत उन्हें सामान की कीमत, उसकी गुणवत्ता समेत छह अन्य विवरण और अधिक प्रमुखता के साथ अंकित करने होंगे, जो पैकेट के 40 प्रतिशत क्षेत्र मे फैला होगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा संशोधित नया नियम जुलाई से लागू हो जायेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पैकेट बंद सभी जिंसों में छह अनिवार्य सूचनाओं को पैकेट के सिरे और पेंदी के क्षेत्र को छोड़ कर बाकी हिस्से के कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र में

और अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। इसका उद्देश्य ग्राहक को इन सूचनाओं को आसानी से पढ़ने लायक बनाना है। इन सूचनाओं में विनिर्माता, पैकजकर्ता अथवा आयातक का नाम, जिंस की शुद्ध मात्रा, विनिर्माण की तिथि, खुदरा बिक्री मूल्य और उपभोक्ता सहायता केन्द्र का संपर्क शामिल होगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने नये नियमों को जुलाई से लागू करने का निर्देश दिया है। **(साभार : प्रभात खबर, 9.4.2016)**

पूरे देश में कहीं भी फसल बेच सकेंगे किसान

नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का शुभारंभ, जुड़ेंगी देश की थोक मंडियाँ

• **25** तरह के कृषि-उत्पादों का होगा ऑनलाइन कारोबार • **08** राज्यों की 21 थोक मंडियां योजना से जुड़ीं • 585 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य है, 2018 तक • 200 करोड़ रुपया का बजट आवंटन

नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (राष्ट्रीय कृषि मंडी/एनएएम) पोर्टल आधुनिक सूचना तकनीक का लाभ किसानों तक पहुँचाने की दिशा में अपनी तरह का पहला और बड़ा प्रयास है। इस ई-मंडी प्लेटफॉर्म के जरिये किसान अपने फसल को देश की उस थोक मंडी में ऑनलाइन बेच सकेंगे, जहाँ उन्हें सबसे अधिक कीमत मिलेगी। पहले चरण में प्रायोगिक आधार पर आठ राज्यों की 21 थोक मंडियों (कृषि उत्पादन बाजार समिति) को इससे जोड़ा गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश को छह, तेलंगाना की पाँच, गुजरात की तीन, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो-दो, जबकि झारखण्ड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक-एक मंडी शामिल है।

पहले चरण में आठ राज्यों की इन 21 मंडियों को जोड़ा गया है :

क्र. सं.	बाजार समिति	जिला	राज्य	प्रस्तावित जिंस
1	पाटन	पाटन	गुजरात	अरंडी का बीच
2	बोटाड	भावनगर	गुजरात	चना (ब्लैक ग्राम)
3	हिम्मतनगर	साबरकांथा	गुजरात	गेहूँ
4	तिरूमालगिरी	नालगोंडा	तेलंगाना	धान
5	निजामाबाद	निजामाबाद	तेलंगाना	हल्दी
6	बाडेपल्ली	महबूबनगर	तेलंगाना	मक्का
7	हैदराबाद	हैदराबाद	तेलंगाना	प्याज
8	वारांगल	वारंगल	तेलंगाना	मक्का
9	रामगंज मंडी	कोटा	राजस्थान	चना (ब्लैक ग्राम)
10	कारोंड, भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश	चना (ब्लैक ग्राम)
11	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	गेहूँ
12	लखीमपुर	लखीमपुर	उत्तर प्रदेश	गेहूँ
13	ललितपुर	ललितपुर	उत्तर प्रदेश	गेहूँ
14	बहराइच	बहराइच	उत्तर प्रदेश	गेहूँ
15	सहारनपुर	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	गेहूँ
16	मथुरा	मथुरा	उत्तर प्रदेश	गेहूँ
17	एलनाबाद	सिरसा	हरियाणा	सरसों
18	करनाल	करनाल	हरियाणा	गेहूँ
19	पंडरा, राँची	राँची	झारखण्ड	महुआ के फूल और इमली
20	फ्रूट मंडी, सोलन	सोलन	हिमाचल प्रदेश	छिल्केदार मटर
21	ढाली, शिमला	शिमला	हिमाचल प्रदेश	छिल्केदार मटर

यहाँ किसान अपने 25 तरह के कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकेंगे, जिनमें आलू-प्याज और गेहूँ-दाल से लेकर इमली-सेब तक शामिल हैं। देश की सभी 585 थोक मंडियों (कृषि उत्पादन बाजार समिति) को मार्च, 2018 तक इस नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

इन कृषि-उत्पादों का होगा कारोबार : गेहूँ, ज्वार, चना, अंरडी बीज, ज्वार, बाजरा, बार्ली, मूँगफली, सोयाबीन, सरसों बीज, धान अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, लाल मिर्च, जीरा, कपास, आलू, प्याज। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 15.4.2016)**

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

आवश्यक सूचना

बिहार नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम-2010/ नियमावली 2013 के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी/ गैर सरकारी नैदानिक स्थापनों यथा: सभी अस्पताल / नर्सिंग होम/ क्लिनिक/ प्रयोगशाला आदि का निबंधन / पंजीकरण जिला निबंधन प्राधिकार के समझ किया जाना अनिवार्य है।

जिन नैदानिक स्थापनों द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है, उन्हें आगाह किया जाता है कि वे 15 मई, 2016 तक संबंधित जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के समक्ष करा लें अन्यथा उनके विरुद्ध Establishment Act अन्तर्गत नियमानूकुल कार्रवाई की जायेगी।

प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग

(साभार : आज, 13.4.2016)

सड़क पर मृत पशु देखें तो निगम को करें फोन

पटना में पूर्वी भारत का पहला और देश का तीसरा आधुनिक पशु शवदाहगृह बनकर तैयार है। लेकिन अभी यहाँ एक भी मृत पशु जलाने के लिए नहीं पहुँचा है। कारण इसका बेहतर प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया है। नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने 17 मार्च को इसका लोकार्पण किया था। बीआरजेपी की ओर से निर्मित इस शवदाहगृह का पिछले कई दिनों से ट्रायल चल रहा है।

बीआरजेपी के एमडी सह नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने आमलोगों से भी मृत पशुओं की सूचना देने की अपील की है। सूचना मिलने पर मृत पशुओं के उठवाने की जिम्मेवारी उस अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर सफाई इंस्पेक्टर तक की होगी।

• कंट्रोल रूम नंबर:0612-3054108 • बांकीपुर अंचल : 9470488627, 9470488569 • पटना सिटी अंचल : 9470488627 • कंकड़बाग अंचल : 9470488584, 9939005692 • एनसीसी अंचल : 9470488607

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.4.2016)

एनएच - 77 से टोल टैक्स की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

• गत वर्ष 7 जुलाई से वाहनों से वसूला जा रहा था टोल टैक्स • सड़क की लंबाई है 82 किसी, निर्माण हुआ है 72 किलोमीटर

पटना हाईकोर्ट ने बिना सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुए एनएच-77 से टोल टैक्स की वसूली किए जाने पर रोक लगा दी। अदालत ने एनएचएआइ से कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही वाहनों से टैक्स की वसूली की जाए, पटना हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश मुजफ्फपुर से वाया सीतामढ़ी, सोनवर्षा तक जाने वाली नेशनल हाईवे के मामले पर सुनवाई करते हुए दिया। इस सड़क की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जबकि अभी तक 72 किलोमीटर तक निर्माण हो पाया है। **(विस्तृत : आईनेक्स्ट, 6.4.2016)**

विनम्र निवेदन

1. माननीय सदस्यों की सेवा में वर्ष 2016-17 के सदस्यता शुल्क का विपत्र भेज दिया गया है। कृपया अपना सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

2. यदि माननीय सदस्यों के फोन नम्बर, ई-मेल आईडी में परिवर्तन हो गया हो तो कृपया लिखित रूप में चैम्बर में भेजने की कृपा करें ताकि हम अपने यहाँ भी उसे सुधार कर सकें।

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296